बहुजन हिताय! बहुजन सुखाय!

सक्षम भारत

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक | इन्द्रजीत सिंह, मुख्य संवाददाता/सचिव, CNSI-Delhi

दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश से प्रसारित

www.sakshambharat;net, E-mail : saksham.bharat@hotmail.com

Member : CENTRAL NEWSPAPER SOCIETY OF INDIA DELHI

● वर्ष: 24 ● अंक: 52 ● नई दिल्ली ● बुधवार 03 दिसम्बर 2025 ● प्रभात कालीन ● मूल्य: 3 रूपया ● पृष्ठ: 4

रिपब्लिकन मजदूर संगठन के सदस्य बनें

E-mail : rmsdp@hotmail.com

अनागरिक गीता भारती भवन

बी-2/370, सुल्तानपुरी

दिल्ली-86

गांधी परिवार को फंसाने की कोशिश, खड़गे का हल्ला बोल, नेशनल हेराल्ड मामले में आया नया मोड़

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को 12 साल पुराने नेशनल हेराल्ड मामले में गांधी परिवार के खिलाफ एक नई एफआईआर दर्ज होने के बाद राजनीतिक प्रतिशोध का आरोप लगाया। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी सरकार और ईडी ने नए आरोपों का इस्तेमाल किया है और विरोधियों को निशाना बनाने के लिए चुनिंदा अभियोजन और नए सिरे से आरोप लगाने का सहारा लिया है। एक्स पर एक पोस्ट में, खड़गे ने लिखा कि 12 साल बाद और अचानक गांधी परिवार पर पुराने मामले में कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाने वाली एक नई एफआईआर। सिर्फ़ इसलिए, क्योंकि मोदी सरकार और ईडी के पास नए आरोपों का भंडार खत्म हो गया है।

संचार साथी ऐप को लेकर विपक्ष पर बरसे संबित पात्रा, कहा - दुष्प्रचार के साथी समझ नहीं पाएंगे

नई दिल्ली। भाजपा सांसद संबित पात्रा ने स्पष्ट किया कि संचार साथी ऐप सरकारी निगरानी के लिए नहीं है। यह ऐप व्यक्तिगत डेटा, संदेशों या कॉल तक पहुँच नहीं सकता। इसका मुख्य उद्देश्य उपयोगकर्ता सुरक्षा बढ़ाना, धोखाधड़ी रोकना और खोए या चोरी हुए मोबाइल फ़ोन को ट्रैक करना है। पात्रा ने कहा कि पार्लियामेंट का शीतकालीन सत्र चल रहा है और आप देख रहें हैं कि कल से आज तक का सफर किस प्रकार का रहा है। पात्रा ने कहा कि एक विषय है - जिस प्रकार से संसद के सदस्यों का और पार्लियामेंट की बिल्डिंग अंदर काम कर रहे सभी कर्मचारियों का कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के सर्वोच नेता ने अपने बयान से बहुत अपमानित किया है। दूसरा विषय संचार साथी का है, इस पर भी संक्षेप में चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि लोग पूछ रहे हैं कि क्या संचार साथी ऐप सरकारी जासूसी के लिए है? क्या सरकार आपकी जासूसी करना चाहती है? नहीं – नहीं – नहीं। सरकार किसी की जासूसी नहीं करना चाहती। विपक्ष पर वार करते हुए उन्होंने कहा कि जो दुष्प्रचार के साथी हैं, वो संचार साथी को को समझ नहीं पाएंगे। इसलिए उन दुष्प्रचार के साथियों को हम तथ्य बताएंगे, वो फिर भी समझ नहीं पाएंगे। मगर जनता-जनार्दन तक तथ्य पहुंचाना हमारा काम है। उन्होंने कहा कि संचार साथी से सरकार कोई जासूसी नहीं करना चाहती है। ये App आपके मैसेज नहीं पढ़ सकती, आपके कॉल नहीं सुन सकती, ये आपके निजी डाटा तक नहीं पहुंच सकती। इसका काम सुरक्षा प्रदान करने का है, फ्रॉड को रोकने का है, चुराए हुए फोन को ट्रैक करने का है और उसे रोककर उसके मालिक तक पहुंचाने का है। संबित पात्रा ने स्पष्ट किया कि संचार साथी के बारे में बहुत सारी गलत जानकारी फैली हुई है, इसलिए इस भ्रम को दूर करने के लिए मैं तथ्यों के साथ इसका समाधान करना चाहता हूं। संचार साथी के ज़रिए सरकार आपकी जासूसी नहीं करना चाहती। संचार साथी आपके संदेश नहीं पढ़ सकता या आपकी कॉल नहीं सुन सकता। यह आपके व्यक्तिगत डेटा तक नहीं पहुँच सकता या उसमें सेंध नहीं लगा सकता। उन्होंने कहा कि संचार साथी का एकमात्र उद्देश्य सुरक्षा प्रदान करना, धोखाधड़ी को रोकना, चोरी हुए मोबाइल फ़ोनों को ट्रैक करना और यह सुनिश्चित करना है कि वे अपने असली उपयोगकर्ताओं को वापस मिल सकें। उन्होंने कहा कि संचार साथी धोखाधड़ी वाले कॉल और स्पैम नंबरों की भी पहचान करता है। आप संचार साथी के माध्यम से स्पैम और दुर्भावनापूर्ण लिंक की रिपोर्ट कर सकते हैं। इसका उद्देश्य मोबाइल उपयोगकर्ताओं को धोखाधड़ी से बचाना है। मोबाइल फ़ोनों में IMEI डुप्लीकेशन के मामलों में वृद्धि हुई है। संचार साथी इस डुप्लीकेशन को रोकने में मदद करता है और खोए या चोरी हुए मोबाइल उपकरणों को पुनः प्राप्त करने में सहायता करता है।

राज्यसभा में उठा आंगनवाड़ी रसोई आधुनिकीकरण, भोजपुरी एकेडमी का मुद्दा; वायु प्रदूषण पर जताई चिंता

नई दिल्ली

।मंगलवार को राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान सांसदों ने आंगनवाड़ी रसोई के आधुनिकीकरण और भोजपुरी साहित्य एकेडमी बनाने से लेकर बढ़ते वायु प्रदूषण संकट तक के मुद्दे उठाए। भाजपा सांसद रेखा शर्मा ने आंगनवाड़ी पोषण रसोई के आधुनिकीकरण के लिए एक राष्ट्रीय कार्यक्रम बनाने की मांग की। जिसमें स्टील के बर्तन और खाना स्टोर करने की जगह, साफ काउंटर, पीने का साफ पानी और साफ वातावरण की व्यवस्था जैसे अपग्रेड का प्रस्ताव दिया। आंगनवाड़ी नेटवर्क को भारत की प्रमुख सामाजिक कल्याण उपलब्धियों में से एक बताते हुए उन्होंने कहा कि आज की जरूरतों को पूरा करने के लिए पोषण रसोई को आधुनिक बनाने की जरूरत है। शर्मा ने बाजरे से बने पोषण मेन्यू के महत्व पर जोर दिया और जिन राज्यों ने अभी तक यह तरीका नहीं अपनाया है, उनसे इसे लागू करने की अपील की। उन्होंने खाना सप्लाई करने के लिए सेल्फ-हेल्प ग्रुप (साल) को जोड़ने और आंगनवाड़ियों की डिजिटल मॉनिटरिंग और ग्रोथ ट्रैकिंग सिस्टम को मजबूत करने की भी मांग की। कुंवर रतनजीत प्रताप नारायण ने उत्तर प्रदेश के कुशीनगर और देवरिया जिलों में एक केंद्रीय भोजपुरी साहित्य

अकादमी बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे सीमांचल, मिथिला और नेपाल के साहित्यकारों और कलाकारों को एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और भाषा को खत्म होने से बचाने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि दिल्ली, बिहार और मध्य प्रदेश में भोजपुरी अकादमी चल रही हैं। उत्तर प्रदेश, जिसे भोजपुरी भाषा का गढ़ माना जाता है, में ऐसी कोई अकादमी नहीं है। वाईएसआरसीपी के सांसद अयोध्या रामी रेड्डी अल्ला ने बढ़ते वायु प्रदूषण संकट को पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी बताया। उन्होंने कहा कि दिल्ली में रहने वाले लगभग सात में से एक निवासी को वायु प्रदूषण के कारण समय से पहले मौत का खतरा है। उन्होंने कहा कि पिछले साल 17,000 से ज्यादा मौतें सीधे तौर पर खराब वायु गुणवत्ता की वजह से हुईं, और राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स अक्सर गंभीर कैटेगरी में रहा। रेड्डी ने विशाखापत्तनम में भी इसी तरह के संकट पर रोशनी डाली, जहां पिछले सात वर्षों में पीएम 10 का लेवल 32.7 प्रतिशत बढ़ा है। उन्होंने कहा कि आंध्र प्रदेश के लिए नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम के तहत 129.4 करोड़ रुपये दिए गए थे, लेकिन सिर्फ़ 39.64 करोड़ रुपये ही इस्तेमाल हुए हैं, जिससे मॉनिटरिंग, विभाग के बीच तालमेल और स्थानीय प्रशासन में समन्वय में गंभीर कमियां सामने आई हैं। उन्होंने दावा किया कि वायु प्रदूषण से भारत को हर साल अपनी जीडीपी के 3 प्रतिशत से ज़्यादा का नुकसान होता है, उन्होंने प्रदूषण से निपटने के लिए मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति की मांग की।

सरदार पटेल के आदर्शों पर बीजेपी -जेल में 30 दिन से ज़्यादा रहे मंत्री देंगे इस्तीफा, राजनाथ सिंह का वादा

नई दिल्ली।

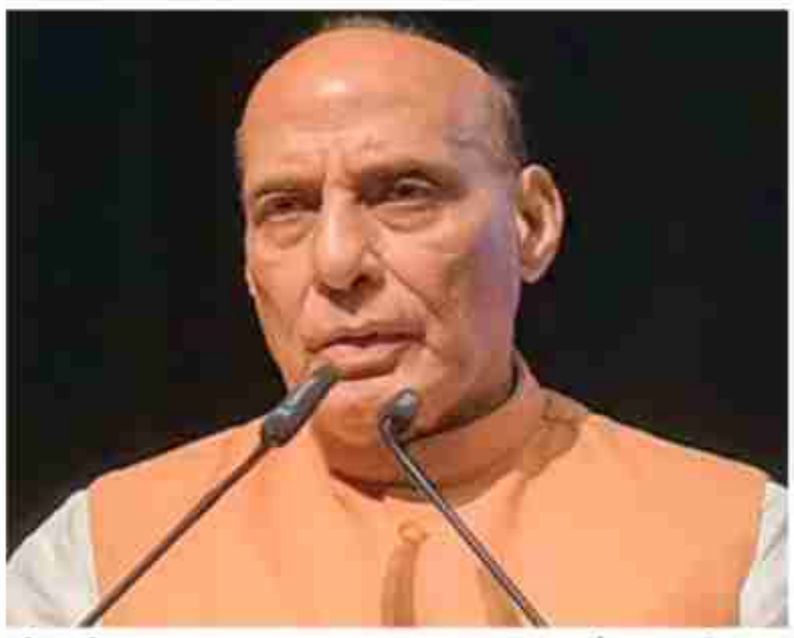

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती पर उनकी विरासत को पुनर्जीवित करने का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया और पटेल के भ्रष्टाचार विरोधी दृष्टिकोण के प्रति भाजपा की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला। सरदार सभा में बोलते हुए, रक्षा मंत्री ने पार्टी द्वारा 130वें संविधान संशोधन को लागू करने के कदम का हवाला दिया, जिसके तहत 30 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहने पर मंत्रियों को इस्तीफा देना होगा।सभा को संबोधित करते हुए, राजनाथ सिंह ने कहा कि सरदार वल्लभभाई पटेल भ्रष्टाचार को लेकर बहुत सख्त थे।

उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी मंत्री के खिलाफ, चाहे वह किसी भी पद पर क्यों न हो, किसी भी शिकायत की जाँच होनी चाहिए। अगर आरोप सही पाए जाते हैं, तो मंत्री को तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। सरदार वल्लभभाई

पटेल की इस इच्छा का स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार भाजपा ने सम्मान किया है... हमने संविधान के 130वें संशोधन विधेयक को संसद में पारित कराने का भी निर्णय लिया है। अगर कोई पदधारी व्यक्ति 30 दिन से ज्यादा जेल में रहता है, तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। हम इस कानून को भारत की संसद में पारित कराने का प्रयास कर रहे हैं। राजनाथ सिंह ने आगे कहा कि हम यहाँ सरदार वल्लभभाई पटेल की 150वीं जयंती मनाने आए हैं... कुछ राजनीतिक ताकतें थीं जो चाहती थीं कि सरदार वल्लभभाई पटेल इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएँ। प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें इतिहास के पन्नों में एक चमकते सितारे के रूप में फिर से स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई है। चल रही सरदार @150 पदयात्रा ने कुल मिलाकर 72 किलोमीटर की दूरी तय की है, जो पटेल के राष्ट्रीय एकता और नागरिक उत्तरदायित्व के संदेश का प्रचार करती है।

यह पदयात्रा उनके आदर्शों के प्रति एक जीवंत श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करती है, समुदायों को अनुशासन, एकता और समर्पित सेवा अपनाने के लिए प्रेरित करती है और साथ ही देश भर में सहभागी नागरिकता को मज़बूत करती है। इस बीच, 20 अगस्त को लोकसभा में पेश किया गया संविधान (एक सौ तीसवाँ संशोधन) विधेयक, 2025, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों को पद से हटाने का एक ढाँचा प्रस्तावित करता है, यदि वे पाँच वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय गंभीर आपराधिक आरोपों में लगातार 30 दिनों से अधिक समय तक जेल में रहते हैं।

ऋणी रहूंगा... अरविंद जी आप महान नेता- अवध ओझा ने राजनीति से लिया संन्यास, आप पार्टी को कहा अलविदा

नई दिल्ली ।

मशहूर कोचिंग टीचर और मोटिवेशनल स्पीकर अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी (आप) से इस्तीफा दे दिया है। कुछ ही महीनों की राजनीतिक पारी के बाद, उन्होंने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट के माध्यम से राजनीति से संन्यास लेने की घोषणा की। अवध ओझा, जो अपनी प्रेरणादायक बातों और छात्रों के बीच लोकप्रियता के लिए जाने जाते हैं, ने हाल ही में राजनीति में कदम रखा था। आम आदमी पार्टी में शामिल होने के बाद, उन्होंने पार्टी के लिए प्रचार-प्रसार में सक्रिय भूमिका निभाई थी। हालांकि, उनकी राजनीतिक पारी अल्पकालिक रही और उन्होंने अब राजनीति से दूरी बनाने का फैसला किया है। अपने एक्स पर पोस्ट में, अवध ओझा ने आम आदमी पार्टी और इसके नेताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने लिखा, मैं आम आदमी पार्टी को अलविदा कह रहा हूं। मैं हमेशा इस पार्टी का ऋणी रहूंगा। आप एक महान नेता हैं। अपने पोस्ट में लिखा कि अरविंद जी ,मनीष जी, संजय जी, सभी आप के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और नेता आदि आप सभी का दिल से बहुत-बहुत धन्यवाद है। जो प्रेम और सम्मान अपने दिया। मैं उसका ऋणी रहूंगा। राजनीति से संन्यास मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। अरविंद जी आप एक बहुत महान नेता हैं। जय हिन्द.... अवध ओझा देश के सबसे पसंद किए जाने वाले शिक्षकों में से एक हैं। उनका पूरा नाम अवध प्रताप ओझा है। यह एक भारतीय यूपीएससी कोच, यूट्यूबर, और शिक्षक हैं। इनका संबंध यूपी के गोंडा जिले से हैं। यूपीएससी में निराशा मिलने पर इन्होंने इलाहाबाद में कोचिंग में पढ़ाना शुरू किया। कोविड में जब ऑफलाइन क्लासेज बंद हो गई थी, तब अपने अलग शिक्षण शैली के कारण काफी तेजी से यूट्यूब पर पॉपुलर हो गए।

पुतिन से पहले दिल्ली पहुँचे दर्जनों रूसी कमांडो, संभाल ली सुरक्षा की कमान, मोदी-पुतिन वार्ता में होंगे कई बड़े ऐलान

नई दिल्ली ।

दिल्ली इस समय एक अत्यंत संवेदनशील और बहु-स्तरीय सुरक्षा ऑपरेशन का केंद्र बन चुकी है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे की तैयारियाँ अंतिम चरण में हैं। पुतिन के आधिकारिक कार्यक्रमों को अत्यंत गोपनीय रखा गया है, किंतु माना जा रहा है कि 4-5 दिसंबर को होने वाले शिखर-स्तरीय द्विपक्षीय कार्यक्रमों को ध्यान में रखते हुए रूसी सुरक्षा टीम पिछले कई दिनों से दिल्ली में मौजूद है। 50 से अधिक रूसी सुरक्षा अधिकारी पहले ही राजधानी पहुंच चुके हैं और उन्होंने मुख्य कार्यक्रम स्थलों से लेकर वैकल्पिक मार्गों तक का गहन सुरक्षा आकलन शुरू कर दिया है। रिपोर्टों के अनुसार रूसी सुरक्षा दल सिर्फ बाहरी सतह पर नज़र नहीं रख रहे, बल्कि संभावित होटल-स्थलों, एयरपोर्ट के लैंडिंग ज़ोन, आपातकालीन निकासी मार्गों और शहर के संवेदनशील हिस्सों की माइक्रो-प्लानिंग भी कर रहे हैं।ड्रू-आधारित निगरानी, ड्रोन-डिटेक्शन सिस्टम, स्नाइपर तैनाती और 24म7 कमांड-कंट्रोल रूम की तैयारी ज़ोरों पर है। दिल्ली पुलिस, स्पेशल सेल, एसपीजी और केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियाँ, रूस की इनर रिंग सुरक्षा टीम के साथ मिलकर काम कर रही हैं। हम आपको बता दें कि बाहरी सुरक्षा और लॉजिस्टिक सपोर्ट भारत संभाल रहा है, जबकि अंतिम निर्णय और कोर प्रोटोकॉल का संचालन रूसी एजेंसियाँ अपने हाथ में रखे हुए हैं। पुतिन के साथ आने वाला प्रतिनिधिमंडल भी बड़ा और उच्चस्तरीय माना जा रहा है, जिसमें रक्षा, विदेश नीति, ऊर्जा, तकनीकी सहयोग और अंतरराष्ट्रीय मामलों से जुड़े शीर्ष अधिकारी शामिल होंगे। उनके लिए विशेष पार्क-व्यवस्था, मेडिकल ट्रांसिट सुविधा और अलग-अलग सुरक्षा परतें भी तैयार की जा रही हैं। कुल मिलाकर, आने वाले

दिनों में राजधानी एक ऐसे सिक्योरिटी कवच में ढँकने जा रही है, जैसा दुनिया के सिर्फ कुछ सबसे शक्तिशाली नेताओं के लिए ही देखा जाता है। अमेरिका की घटती विश्वसनीयता, चीन की बढ़ती आक्रामकता और यूरोप की नई रणनीतिक उलझनों के बीच होने वाले मोदीड्डपुतिन शिखर सम्मेलन पर इस समय पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। देखा जाये तो बीते तीन दशकों में भारत ने अमेरिका से रक्षा, तकनीक और रणनीति के मामलों में गहरे संबंध विकसित किए, जबकि रूस ने चीन के साथ अपनी साझेदारी बढ़ाई। किंतु 2025 आते-आते दुनिया ने महसूस किया कि पुरानी धारणाएँ अब वास्तविकता को नहीं समझा पातीं। अमेरिका के घरेलू तनाव, अनिर्णायक युद्धों और हाल के व्यापक टैरिफ युद्धों ने कई देशों को झटका दिया है– भारत के लिए 50त ड्यूटी वाला प्रसंग इसकी अहम मिसाल है। दूसरी ओर, चीन का विस्तारवादी रुख रूस के भीतर भी असहजता पैदा कर रहा है– चाहे वह सुदूर साइबेरिया की जनसंख्या-गतिशीलता हो या मध्य एशिया में बढ़ते प्रभाव की चिंता। ऐसे समय में भारत और रूस, दोनों अपनी-अपनी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति को मजबूत करते दिखाई देते हैं। यह कोई पुराना मित्रता-संधि मॉडल नहीं, बल्कि नई वैश्विक अनिश्चितताओं में एक-दूसरे के लिए विश्वसनीय और अपेक्षाकृत स्थिर साझेदार खोजने का प्रयास है। शिखर सम्मेलन का एजेंडा भी इस बात को दर्शाता है। दोनों देशों के बीच व्यापार अब करीब 65-66 अरब डॉलर पर है और 2030 तक इसे 100 अरब डॉलर तक ले जाने का लक्ष्य रखा गया है। रूसी कच्चे तेल पर भारत की निर्भरता ने इस व्यापारिक संबंध को मजबूती दी है, जबकि भारत दवाइयों, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ाना चाहता है। दूसरी ओर, पुतिन की यात्रा की कठोर सुरक्षा व्यवस्थाएँ, वैश्विक राजनीति की वर्तमान बेचैनी का भी प्रतीक हैं। पुतिन की सुरक्षा के इंतजामात इस बात का संकेत हैं कि विश्व के सबसे शक्तिशाली नेताओं को आज किस स्तर की असुरक्षा और खतरे की चिंता घेरे हुए है। सवाल उठता है कि क्या हम ऐसे समय में प्रवेश कर रहे हैं जहाँ संवाद की मेज़ पर बैठने के लिए पहले शहरों को किले में बदलना पड़ेगा? बहरहाल, भारत के लिए पुतिन की यात्रा का राजनीतिक संदेश महत्वपूर्ण है। यह संदेश है कि भारत वैश्विक शक्तियों के बीच संतुलन बनाने वाली अपनी स्वतंत्र विदेश नीति को जारी रखे हुए है। देखा जाये तो भारत और रूस, दोनों ही तेज़ी से बदलती दुनिया में न तो किसी एक खेमे में जाना चाहते हैं और न ही अपनी स्वायत्तता को खोना चाहते हैं। यही कारण है कि यह साझेदारी आज पहले से कहीं अधिक प्रासंगिक दिखती है।

पूजा, इबादत प्रार्थना सेवा और आध्यात्मिकता- राजनीतिक घुसपैठ से ऊपर उठाने की वैश्विक अनिवार्यता

वैश्विक स्तरपर आधुनिक विश्व का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि जहां विज्ञान, तकनीक और भौतिक प्रगति मानव जीवन को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले गई है,वहीं मनुष्य का आंतरिकसंसार अस्थिरता, अनिश्चितता और विभाजन की गिरफ्त में है।ऐसे समय में पूजा,इबादत प्रार्थना सेवा और आध्यात्मिकता मनुष्य के मन में संतुलन,करुणा और शांति का आधार बनने चाहिए थे, पर विडंबना यह है कि आज इन्हीं आध्यात्मिक क्षेत्रों में राजनीति का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा है।आध्यात्मिकता का राजनीतिकरण वैश्विक स्तरपर एक गहरी चिंता का विषय बन चुका है क्योंकि इससे न केवल व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्रभावित होती है, बल्कि सामाजिक एकता, धार्मिक सद्भाव और लोकतांत्रिक व्यवस्था भी कमजोर पड़ती है। इसलिए,यह आवश्यक है कि पूजा-इबादत प्रार्थना सेवा को मनोरंजन, प्रचार-प्रसार, या राजनीतिक लाभ के साधन के रूप में प्रस्तुत करने की प्रवृत्ति को रोका जाए, और अध्यात्म की पवित्रता को पुनर्स्थापित किया जाए।मैं एडवोकेट किशन सनमुखदास भावनानी गोंदिया महाराष्ट्र यह मानता हूं कि विश्व की लगभग सभी धार्मिक और आध्यात्मिक परंपराएँ,हिंदू, बौद्ध, ईसाई, इस्लाम, यहूदी, ताओ, शिंतो- पूजा को एक आंतरिक प्रक्रिया मानती हैं। हिंदू दर्शन में पूजा मन,बुद्धि,चित्त की शुद्धि का साधन है, केवल क्रियाकलाप का नहीं। बौद्ध परंपरा में पूजा नहीं, बल्कि स्मृति और ध्यान केंद्र में है, जिसका उद्देश्य मन की अशुद्धियों को शांत करना है।इस्लाम में नमाज़ मनोरंजन नहीं, बल्कि विनम्रता का प्रशिक्षण है। ईसाई प्रेयर को आत्मिक संवाद कहते है, जहाँ बाहरी आडंबर से अधिक भीतरी पवित्रता को महत्व दिया जाता है।यानें पूरी दुनियाँ इस बात को मानती है कि पूजा कोई कार्यक्रम याँ एक्टिविटी नहीं,बल्कि एक अंतर्यात्रा है,स्वयं को जानने की, स्वयं को सुधारने की,और स्वयं को ईश्वर या ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ने की। मानव सभ्यता के विकास में पूजा,ध्यान,प्रार्थना और आध्यात्मिक साधनाएँ केवल धार्मिक अनुष्ठान भर नहीं रहीं,बल्कि मनुष्य के आंतरिक संतुलन,मानसिक अनुशासन और सामाजिक नैतिकता के निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ के रूप में विकसित हुई हैं। किंतु आज के डिजिटल युग,तीव्र बाजारीकरण,उपभोक्तावाद और मनोरंजन-प्रधान संस्कृति में पूजा के वास्तविक स्वरूप के समक्ष सबसे बड़ा संकट यही है कि इसे अनायास ही मनोरंजन, उत्सव, प्रदर्शनी या दिखावे के रूप में देखा जाने लगा है।पूजा इबादत प्रार्थना सेवा मनोरंजन नहीं है यह पंक्ति केवल धार्मिक चेतना को पुनर्स्थापित करने का आह्वान नहीं, बल्कि 21वीं सदी की मानव सभ्यता के लिए एक नैतिक मार्गदर्शन भी है कि आध्यात्मिकता और बाज़ार, श्रद्धा और मनोरंजन, साधना और प्रदर्शन के बीच सीमाओं को समझे बिना समाज का मानसिक स्वास्थ्य, सांस्कृतिक शुचिता और आध्यात्मिक अनुशासन लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकता। साथियों बात अगर हम पूजा या इबादत प्रार्थना सेवा मनोरंजन नहीं है:पवित्रता की मूल आत्मा है इसको समझने की करें तो, पूजा और इबादत प्रार्थना सेवा किसी भी धर्म या संस्कृति में आनंद या मनोरंजन का माध्यम नहीं रहे हैं। प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक धार्मिक परंपराओं तक, पूजा का उद्देश्य मनुष्य को उसके अहंकार, उसकी इच्छाओं और उसकी भ्रमित अवस्थाओं से ऊपर उठाना रहा है।पूजा में एकांत, अनुशासन और मन की शुद्धता का भाव शामिल होता है, जबकि मनोरंजन का मूल स्वभाव हल्कापन क्षणिकता और बाहरी उत्तेजना पर आधारित होता है। आज जब कई स्थानों पर धार्मिक अनुष्ठानों को संगीत-उत्सवों, भीड़-इकट्ठा करने वाले कार्यक्रमों या दिखावे की प्रतियोगिताओं में बदलते देखा जाता है, तब पूजा अपनी मूल सार्थकता खोने लगती है।पूजा का उद्देश्य आत्म-निरीक्षण औरआध्यात्मिक उत्थान है, न कि भीड़ जुटाकर लोकप्रियता कमाना।पूजा या इबादत प्रार्थना सेवा को मनोरंजन के स्तर पर उतार देने से समाज में दो गंभीर समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। प्रथम, धार्मिक भावना का बाजारीकरण बढ़ता है,जिसके कारण समारोह सजावट आयोजनों की भव्यता और तकनीकी प्रदर्शन पर केन्द्रित हो जाते हैं।दूसरा, इससे धर्म का उपयोग सामुदायिक पहचान दिखाने के साधन में बदल जाता है, जिससे बंटवारा और प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होती है। पूजा यदि मन की शांति का स्रोत रहे तो समाज शांत होता है, पर यदि इसे भीड़-संचालित मनोरंजन के रूप में रूपांतरित कर दिया जाए तो इससे तनाव और विभाजन बढ़ते हैं। साथियों बात अगर हम पूजा और मनोरंजन का मिश्रण 21वीं सदी की नई चुनौती इसको समझने की करें तो इंटरनेट,ग्लोबल मीडिया, स्मार्टफोन और सोशल नेटवर्क ने धर्म और पूजा को तेजी से मनोरंजन की वस्तु जैसा बना दिया है।मंदिरों, चर्चों मस्जिदों और गुरुद्वारों के लाइव स्ट्रीम, रील्स, क्लिप्स, पब्लिक चैलेंज, वायरल भक्ति गाने, डांस वीडियोज और 'डिवोशनल कंटेंट ट्रेंडिंग' ने पूजा की मूल भावना को बाज़ार का हिस्सा बना दिया है।आज भक्तों की संख्या नहीं, व्यूज़ और फॉलोअर्स की संख्या पर आध्यात्मिक प्रतिष्ठा का मूल्यांकन होने लगा है।

पूजा घर का एकांत साधना स्थल होने के बजाय स्टेज-लाइट्स, साउंड डीजे और डिजिटल शो का रूप लेती जा रही है। यह बदलाव केवल भारत में नहीं,बल्कि अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, अफ्रीका, यूरोप और लैटिन अमेरिका तक देखा जा सकता है, जहाँ धार्मिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति में ग्लैमरस मनोरंजन का समावेश बढ़ता जा रहा है। 21वीं सदी में वैश्वीकरण, डिजिटल युग और राजनीतिक ध्रुवीकरण ने धार्मिक पहचान को राजनीतिक लाभ का सबसे आसान साधन बना दिया है। दुनिया के अनेक देशों में चुनावों, सत्ता-समीकरणों, सार्वजनिक नीतियों और सामाजिक एजेंडों में आध्यात्मिकता के नाम पर जनमत को प्रभावित करने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ी है। यह प्रवृत्ति केवल किसी एक देश या धर्म की समस्या नहीं है, बल्कि यह एक वैश्विक चेतावनी है कि राजनीति यदि आध्यात्मिक क्षेत्रों में प्रवेश कर लेती है, तो वह लोगों की भावनाओं को हथियार बनाकर लोकतंत्र की आत्मा को क्षति पहुँचा सकती है।राजनीतिक शक्तियाँ जब धार्मिक प्रतीकों, पूजा-स्थलों या आध्यात्मिक संस्थाओं का उपयोग अपने प्रचार के लिए करती है, तब वे अध्यात्म की सार्वभौमिकता को सीमित कर देती हैं आध्यात्मिकता का मूल स्वभाव समावेशी है वह मनुष्य को मानवता के उच्चतर सिद्धांतों से जोड़ती है, न कि किसी दल, समूह या विचारधारा से। आधुनिक विश्व में जहां कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स और तकनीकी प्रगति मनुष्य को उसकी मूल आत्मा से दूर करती जा रही है,वहां आध्यात्मिकता की भूमिका और बढ़ जाती है।लेकिन जब यहीआध्यात्मिकता सत्ता का उपकरण बन जाती है, तो वह अपने मूल उद्देश्य मानव कल्याण और आंतरिक शांति से भटक जाती है।इसलिए आधुनिक युग में अध्यात्म को राजनीतिक रंग से बचाना केवल धार्मिक स्वतंत्रता का ही प्रश्न नहीं,बल्कि बहुमतवादाधिकार लोकतंत्र और वैश्विक सामाजिक स्थिरता का प्रश्न भी है। राजनीतिकरण रोकने का अर्थ यह नहीं कि धार्मिक समुदाय सामाजिक मुद्दों पर बोलें नहीं; बल्कि इसका अर्थ यह है कि पूजा-इबादत को राजनीतिक उद्देश्य, चुनावी लाभ या नीतिगत लाभ उठाने का माध्यम न बनाया जाए। साथियों बात अगर हम आध्यात्मिकता में राजनीति की घुसपैठ- वैश्विक परिदृश्य में खतरा इसको समझने की करें तो, आध्यात्मिकता की राजनीति पर पकड़ जितनी गहरी होती जाती है, उतनी ही लोकतंत्र कमजोर पड़ने लगता है,क्योंकि व्यक्ति की निजी आस्था राजनीतिक वादों और प्रचार मशीनों का विषय बन जाती है। पिछले कुछ दशकों में दुनियाँ के कई देशों में देखा गया है कि राजनीतिक दल आध्यात्मिक नेताओं, धार्मिक संस्थानों और सामुदायिक विश्वासों का उपयोग जनमत को प्रभावित करने में करते है। इससे आध्यात्मिक संस्थाएँ निष्पक्षता खो देती है और धर्म का उपयोग वैज्ञानिक, सामाजिक या आर्थिक वास्तविकताओं से ध्यान हटाने के लिए किया जाता है।राजनीति की घुसपैठ से आध्यात्मिकता का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि यह मनुष्य को विभाजित करने वाली रेखाओं को गहरा करती है। आध्यात्मिकता का असली उद्देश्य मनुष्य को उसके भीतर की एकता से जोड़ना है, लेकिन राजनीति उसकी पहचान को समूह, जाति, संप्रदाय या अन्य सामाजिक खंडों में बदल देती है। जब आध्यात्मिक नेताओं को राजनीतिक मंचों पर खड़ा किया जाता है,जब पूजा-स्थलों को शक्ति-समीकरणों के केंद्र में रखा जाता है, या जब आस्था के नाम पर नीतियाँ बनती हैं, तो इससे सत्ता और आध्यात्मिकता के बीच ऐसा पैठयुक्त गठजोड़ बनता है जिससे समाज का नैतिक ढांचा कमजोर पड़ता है।यह वैश्विक प्रवृत्ति केवल धार्मिक स्वतंत्रता को ही नहीं, बल्कि वैश्विक शांति को भी चुनौती देती है।

सम्पादकीय...

संसद बाधित...

भारत की संसद का शीतकालीन सत्र 1 दिसंबर से आरंभ हो रहा है और इसके प्रारंभ होने से पहले हुई सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने आने वाले दिनों में संसद की कार्यवाही के हंगामेदार होने का संकेत देने में देर नहीं लगाई। विपक्ष ने स्पष्ट कर दिया है कि वह एस.आई.आर. सहित कई मुद्दों पर जोरदार ढंग से सदन में अपनी आवाज उठाएगा। विपक्ष संसद में सवाल उठाए, आवाज उठाए, यह उसका संवैधानिक अधिकार और कर्तव्य है, लेकिन मुद्दा यह है कि क्या वह अधिकार सार्थक बहस के रूप में सामने आएगा या एक बार फिर हंगामे की भेंट चढ़कर भारत के लोकतंत्र को शर्मसार करेगा। मॉनसून सेशन अगर ऑपरेशन सिंदूर के नाम था, तो इस बार बहस के केंद्र में एस.आई.आर. है। लेकिन, सरकार और विपक्ष-दोनों से ही सदन के भीतर यह समझदारी, संयम, शालीनता और सहयोग की अपेक्षा है, ताकि सत्र में अधिक काम हो सके। शीतकालीन क19 दिसंबर तक चलना है। इसमें कुल 15 दिन कार्यवाही चलेगी और इस दौरान शिक्षा, सड़क और कॉरपोरेट लॉ संबंधी कई अहम बिल पेश किए जाएंगे। इसी सत्र में हेल्थ सिक्योरिटी एंड नैशनल सिक्योरिटी सेस बिल, 2025 भी रखा जा सकता है, जिसका मकसद देश के हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर और सुरक्षा तैयारियों के लिए एक नया उपकर लगाना है। सारे ही बिल-प्रस्ताव महत्वपूर्ण हैं और इन पर सार्थक बहस की जरूरत है। निश्चित तौर पर पिछले अनेक वर्षों से संसद की कार्यवाही हंगामे, शोर-शराबे, नारेबाजी की भेंट चढ़ती रही है। पिछला सत्र इस संदर्भ में बेहद निराशाजनक रहा। वेल में आकर नारेबाजी, कुर्सियाँ ठोकने, प्लेकार्ड दिखाने और लगातार स्थगन जैसे दृश्य दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए एक दुर्भाग्यपूर्ण तस्वीर पेश करते रहे। वह सत्र देश के संसदीय इतिहास के सबसे कमजोर प्रदर्शन वाले सत्रों में गिना गया, जब लोकसभा की प्रोडक्टिविटी महज 31 प्रतिशत के आसपास और राज्यसभा की लगभग 39 प्रतिशत रही। हंगामे और शोर-शराबे की वजह से दोनों सदनों में कई महत्वपूर्ण घंटे बर्बाद हो गए थे। सवाल यह है कि आखिर यह प्रवृत्ति कब बदलेगी? क्या हमारे जनप्रतिनिधि समझेंगे कि संसद का एक-एक मिनट देश के करोड़ों लोगों की गाढ़ी कमाई से चलता है? एक मिनट का व्यर्थ खर्च लोकतंत्र की आत्मा को चोट पहुंचाता है। संसद केवल बहस का मंच नहीं बल्कि देश की नीतियों, कानूनों और विकास-दिशा को तय करने वाला सर्वोच्च स्थल है। लोकतंत्र की सफलता का मूलमंत्र जनता द्वारा चुनकर भेजे गए प्रतिनिधियों की सजगता, जवाबदेही और गरिमा है। इसलिए, संसद का हर क्षण अर्थपूर्ण, कार्यकारी होना चाहिए, हर चर्चा राष्ट्रीय हित को आगे बढ़ाने वाली होनी चाहिए और हर बहस शालीनता तथा परिपक्वता की कसौटी पर खरी उतरनी चाहिए। सत्र को सुचारूरूप से चलाने के लिये सरकार की ओर से सर्वदलीय बैठक आयोजित करना एक स्वस्थ एवं सौहार्दपूर्ण परम्परा एवं एक आशा की किरण है। इस बार भी सत्र शुरू होने से पहले 36 दलों का एक साथ बैठक करना एक अच्छे शुरुआत है। यह बैठक केवल औपचारिकता नहीं बल्कि संवाद और सहयोग की दिशा में एक सार्थक पहल है। देश यह उम्मीद कर सकता है कि यदि सदन का संचालन भी इसी सकारात्मक भावभूमि पर हुआ तो यह सत्र एक आदर्श परंपरा स्थापित कर सकता है। लोकतंत्र में मतभेद होना स्वाभाविक है, परंतु मनभेद अनिवार्य नहीं। संसद उन मनभेदों को संवाद में बदलने का पवित्र स्थान है। निश्चित ही विपक्ष की भी अपनी मांगें हैं, जिसे सर्वदलीय बैठक में रखा गया। विपक्ष राष्ट्रीय सुरक्षा, एसआईआर, वायु प्रदूषण और विदेश नीति पर विस्तृत चर्चा चाहता है। अच्छी बात है कि विपक्षी दलों ने इस बारे में पहले ही अवगत करा दिया है और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के ही मुताबिक, किसी ने भी यह नहीं कहा कि संसद नहीं चलने दी जाएगी। सरकार और विपक्ष, दोनों का इस पर सहमत होना कि सदन चलना चाहिए, स्वागत योग्य है। इस सत्र में सरकार 14 महत्वपूर्ण विधेयक पेश करने जा रही है। इन विधेयकों को पारित करवाना मात्र सरकार की जिम्मेदारी नहीं है; यह विपक्ष की भी उतनी ही बड़ी भूमिका है कि वह रचनात्मक सुझाव दे, आवश्यक संशोधन का आग्रह करे और राष्ट्रहित सर्वोपरि रखते हुए संवाद के माध्यम से कानूनों को दिशा दे। लोकतंत्र में सत्ता और विपक्ष दोनों दो पहिये हैं, एक पहिया चिटक जाए तो रथ आगे नहीं बढ़ता। आज आवश्यकता इस बात की है कि संसद में एक नई लकीर खींची जाए-शालीनता की, संवैधानिक मर्यादाओं की, तर्कसंगत बहस की और राष्ट्रीय हित की। दुनिया भर के लोकतंत्रों में बहसें गरम होती हैं, लेकिन गरिमा नहीं टूटती। भारत में भी यह संस्कृति विकसित होनी चाहिए। विपक्ष का काम सरकार को कठघरे में खड़ा करना है, लेकिन वह हंगामे से नहीं बल्कि तथ्यपूर्ण तर्कों से हो। सवाल उठाने का अधिकार तभी सार्थक है जब उसके साथ उत्तर सुनने की तैयारी भी हो। पिछले कुछ सत्रों में यह प्रवृत्ति बढ़ी है कि विपक्ष प्रश्न पूछता है लेकिन उत्तर सुनने का अवसर ही नहीं देता। यह लोकतंत्र की आत्मा का हनन है। संसद सिर्फ आवाज बुलंद करने का मंच नहीं, वह सुनने, समझने और समाधान खोजने का माध्यम है। दुर्भाग्य से, पिछले कुछ वर्षों में यह मंच पक्ष और विपक्ष की राजनीतिक लड़ाइयों का अखाड़ा बनता जा रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार को भी विपक्ष के सवालों का सम्मानपूर्वक जवाब देना चाहिए, लेकिन विपक्ष को भी यह समझना होगा कि राजनीति निरंतर संघर्ष का नाम नहीं बल्कि संवाद की प्रक्रिया है। देश की जनता बेहद उम्मीदों के साथ इस सत्र को देख रही है। महंगाई, रोजगार, सुरक्षा, विदेश नीति, सामाजिक सौहार्द, अर्थव्यवस्था, कृषि, शिक्षा और न्याय-ये सभी गंभीर मुद्दे हैं। जनता चाहती है कि उसके चुने हुए प्रतिनिधि इन मुद्दों पर ठोस बहस करें। यदि संसद हंगामों का अखाड़ा बन जाए, तो इन मुद्दों का समाधान कैसे निकलेगा? लोकतंत्र का वास्तविक मूल्य कानून में नहीं बल्कि उसके निर्बाध संचालन में है; यदि संचालन त्रुटिपूर्ण हो जाए, तो कानून भी अर्थहीन हो जाता है। संसद की गरिमा देश की गरिमा है। सांसद केवल राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि नहीं, बल्कि राष्ट्र की आत्मा के वाहक हैं।

एसआईआर पर गतिरोध

गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) के मुद्दे पर संसद से लेकर सड़क तक जो कोहराम मचा हुआ है उसे देखते हुए चुनाव आयोग ने इसकी समय सीमा एक सप्ताह बढ़ा दी है। अब मतदाता अपना फार्म 4 दिसम्बर के स्थान पर 11 दिसम्बर तक बीएलओ को दे सकेंगे।

समझा जा रहा है कि इससे बीएलओ का भार भी कुछ हल्का होगा। मगर संसद के पहले दिन ही लोकसभा में इस मुद्दे पर जो हंगामा हुआ वह अपेक्षित था क्योंकि विपक्षी दल मांग कर रहे थे कि एसआईआर के मसले पर सभी काम छोड़ कर सदन में विशद चर्चा कराई जाये जिसके लिए सरकार राजी नहीं हुई और फिर भर लोकसभा की कार्यवाही बाधित होती रही। लोकतन्त्र में यह कोई अनहोनी घटना नहीं है क्योंकि विपक्ष प्रायः उन्हीं मुद्दों पर सरकार को घेरने की कोशिश करता है जिन पर जनता आन्दोलित होती है। जाहिर है कि मतदाता सूची संशोधन का मामला राष्ट्रीय स्तर पर केन्द्रीय बहस का विषय बना हुआ है और विपक्ष लगातार इस सिलसिले में चुनाव आयोग को कठघरे में खड़ा कर रहा है। दूसरी तरफ चुनाव आयोग जिद पर अड़ा हुआ है कि देश के 12 राज्यों में मतदाता सूची संशोधन का कार्य निश्चित समयावधि में पूरा होना चाहिए। इसके चलते देश के विभिन्न राज्यों में दर्जनों बीएलओ की मृत्यु भी हो चुकी है और कई ने आत्महत्या तक की है।

पहले विपक्ष यह भी मांग कर रहा था कि आत्महत्या के लिए चुनाव आयोग के विरुद्ध आपराधिक कार्रवाई तक होनी चाहिए क्योंकि राज्य सरकार के विभिन्न कर्मचारियों ने ड्यूटी पर आत्महत्या की है। ज्ञातव्य है कि चुनाव आयोग चुनाव सम्बन्धी काम कराने के लिए राज्य सरकारों के कर्मचारी ही प्रतिनियुक्ति पर लेता है। ये कर्मचारी प्रायः तीसरी श्रेणी के होते हैं जो बीएलओ का काम करते हैं। बीएलओ की आत्महत्याओं से ऐसी अवधारणा बनी है कि इन पर काम का भारी बोझ है जिसे चुनाव आयोग दो महीने के भीतर ही पूरा करना चाहता है। जिन 12 राज्यों में चुनाव आयोग मतदाता सूची संशोधन का काम करा रहा है उनमें से हाल-फिलहाल में किसी भी राज्य में चुनाव नहीं होने हैं।

अतः यह दलील दी जा रही है कि चुनाव आयोग यह काम न्यूनतम छह महीने के भीतर करा सकता था जिससे कर्मचारियों पर काम का बोझ न होता। इसके पक्ष में तर्क दिया जा रहा है कि पिछली बार जब 2003 में मतदाता सूची संशोधन का काम किया गया था तो उसके लिए दो वर्ष का समय रखा गया था। इसे देखते हुए दो महीने का समय वास्तव में बहुत कम लगता है। इससे आभास होता है कि चुनाव आयोग हड़बड़ी में है और वह अपना काम जल्द से जल्द करना चाहता है। दूसरी तरफ देश के सर्वोच्च न्यायालय में भी एसआईआर को लेकर दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। समझा जा रहा है कि चुनाव आयोग ने संशोधन में एक सप्ताह की सीमा इस सुनवाई के दौरान विद्वान न्यायाधीशों की टिप्पणियों के चलते ही की है। न्यायालय में जो पीठ सुनवाई कर रही है उसके मुखिया मुख्य न्यायाधीश श्री सूर्यकान्त हैं। श्री सूर्यकान्त ने कहा था कि यदि याचिकाकर्ता उनके समक्ष यह सिद्ध कर दें कि समय सीमा बढ़ाने के ठोस तर्क हैं तो वह चुनाव आयोग को यह सीमा बढ़ाने के आदेश दे सकते हैं। विगत 26 नवम्बर को तमिलनाडु व प. बंगाल सरकारों द्वारा एसआईआर को चुनौती देने वाली याचिकाओं की सुनवाई करते हुए श्री सूर्यकान्त ने यह टिप्पणी की थी। मूल प्रश्न यही है कि मतदाता सूची संशोधन क्यों आवश्यक है और इसके लिए इतनी जल्दबाजी क्यों है? बेशक मतदाता को ही भारत का लोकतन्त्र एक वोट का अधिकार देता है वह उसका सबसे बड़ा संवैधानिक अधिकार है और इसकी पवित्रता हर हाल में अक्षुण्ण रहनी चाहिए। मतदाता सूचियों में दोहरे नामों की समस्या कोई नई नहीं है। इसके साथ ही एक मतदाता का नाम अलग-अलग राज्यों की सूचियों में भी पाया जाता है। इन खामियों को दूर करने के लिए चुनाव आयोग को निश्चित रूप से निर्णायक प्रयास करने चाहिए परन्तु इसका मतलब यह भी नहीं है कि इस क्रम में बीएलओ ही आत्महत्या करने लगें। संसद का सत्र चल रहा है जो 19 दिसम्बर तक जारी रहेगा। एसआईआर के मुद्दे पर संसद में गतिरोध किसी कीमत पर पैदा नहीं होना चाहिए और खुलकर बहस होनी चाहिए जिससे भविष्य में ऐसी समस्याओं से निपटा जा सके। बेशक इस तर्क में वजन है कि सीधे इस मुद्दे पर सदन में चर्चा नहीं छेड़ी जा सकती क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वतन्त्र व स्वायत्त संवैधानिक संस्था है जिसके कृत्यों के लिए सरकार को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। मगर चुनाव प्रणाली में सुधार के छाते तले इस विषय पर चर्चा जरूर हो सकती है। अतः सरकार व विपक्ष दोनों को ही किसी समान विचार पर आना चाहिए। सरकार के सामने सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष ने साफ कर दिया था कि वह एसआईआर पर बहस चाहता है क्योंकि वर्तमान में यह मुद्दा ज्वलन्त बना हुआ है और 12 राज्यों के लोग इससे प्रभावित हैं। लोकतन्त्र में विपक्ष को संसद में जनता की बात उठाने का पूरा अधिकार होता है। मगर इस प्रणाली में सरकार भी चूंकि जनता की ही होती है अतः उसे पूरी संवेदनशीलता के साथ सभी मुद्दे पर गौर करना होता है।

इमरान खान जिंदा भी हैं या नहीं!

इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा हैं या वाकई मौत के शिकार हो चुके हैं? चर्चा इतनी तेज है कि मौत के खंडन पर लोग भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। सवाल यह भी पूछा जा रहा है कि यदि वे जिंदा हैं तो उन्हें परिवार या पार्टी के लोगों से क्यों नहीं मिलने दिया जा रहा है? मौत की खबर में जो भी सच्चाई हो लेकिन हर कोई यह मानकर चल रहा है कि आसिम मुनीर किसी भी हालत में इमरान खान को जिंदा नहीं छोड़ेंगे क्योंकि केवल इमरान के पास ही ये ताकत है कि मुनीर को धूल चटा दें। इमरान खान पिछले ढाई साल से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद हैं। उन्हें भ्रष्टाचार के मामलों में सजा सुनाई गई थी। फिलहाल उन्हें उनके परिवार से भी नहीं मिलने दिया जा रहा है जबकि मुलाकात के लिए कोर्ट ने आदेश भी दे रखा है। इमरान को किसी से नहीं मिलने देने के कारण स्वाभाविक रूप से शंकाएं जन्म लेती रहती हैं। अभी 26 नवंबर को अफगानिस्तान टाइम्स नाम के एक्स हैंडल से यह दावा किया गया कि इमरान खान को अडियाला जेल में रहस्यमय तरीके से मार दिया गया है। अगले ही दिन इमरान खान के बेटे कासिम खान ने 'एक्स' पर लिखा कि इमरान खान की बहनों को उनसे क्यों नहीं मिलने दिया गया? मेरा और मेरे भाई का अपने पिता से कोई संपर्क नहीं हो पाया है। उनके जिंदा होने का कोई सबूत हमें नहीं मिला है। यह ब्लैकआउट सुरक्षा प्रोटोकॉल नहीं है। कासिम ने शंका व्यक्त की कि कुछ तो छिपाया जा रहा है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से इस मामले में दखल देने की गुजारिश भी की। अडियाला जेल की तरफ से कहा जा रहा है कि इमरान स्वस्थ और सुरक्षित हैं। मगर सवाल यह पैदा होता है कि यदि वे सुरक्षित हैं तो उनसे मिलने के लिए पहुंची उनकी तीन बहनों नुरीन खान, अलीमा खान और उजमा खान को पुलिस ने क्यों पीटा? उन्हें इमरान खान से क्यों नहीं मिलने दिया? परिवार को तो नहीं ही मिलने दिया जा रहा है, इमरान की लीगल टीम को भी उनसे मिलने से रोक दिया गया है। यही कारण है कि मौत की आशंका लगातार पुख्ता होती जा रही है। यहां तक कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सोहेल अफरीदी को भी पुलिस ने इमरान से नहीं मिलने दिया। सवाल पैदा होता है कि इमरान को लेकर इतनी सख्ती क्यों बरती जा रही है और किसके इशारे पर बरती जा रही है? जाहिर सी बात है कि यह सब पाकिस्तान के सबसे ताकतवर व्यक्ति आसिम मुनीर के इशारे पर ही हो रहा है। असीम और इमरान की पुरानी अदावत है और असीम इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि उनकी सत्ता को चुनौती देने की ताकत यदि किसी व्यक्ति में है तो वह है इमरान खान। वे भले ही ढाई साल से जेल में बंद हैं लेकिन उनकी लोकप्रियता में कोई कमी नहीं आई है। पाकिस्तानी जनता यही मानती है कि पाकिस्तान का भला यदि कोई नेता कर सकता है, तो वह है इमरान खान। इमरान ने अमेरिका की सत्ता को जिस तरह से चुनौती दी थी, उससे उनकी शख्सियत बढ़ी हुई लेकिन दुर्भाग्य से उन्हें ऐसे चंगुल में दबोच लिया गया कि वे अमेरिका को आंखें न दिखा पाएं। इमरान को चंगुल में दबोचने के लिए अमेरिका ने सेना अध्यक्ष आसिम मुनीर का उपयोग तभी शुरू कर दिया था, जब वे आईएसआई के चीफ हुआ करते थे। इमरान को जैसे ही इस बात का एहसास हुआ था, उन्होंने मुनीर को आईएसआई के चीफ पद से केवल आठ महीनों में चलता कर दिया था जबकि कार्यकाल तीन साल का था।

सुप्रीम कोर्ट की नई लिस्टिंग नीति- तारीख पर तारीख पर रोक की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम

नई नीति का केंद्र बिंदु वही पुराना सवाल है,किस अधिकार से किसी व्यक्ति को सालों तक सिर्फ प्रक्रिया के इंतज़ार में रखा जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट ने यही प्रश्न खुद से पूछा और इसका समाधान रीस्ट्रक्चर्ड लिस्टिंग सिस्टम के रूप में प्रस्तुत किया। कोर्ट अब यह मानता है कि न्याय तभी न्याय कहलाता है जब वह समय पर मिले, और यह सिद्धांत पूरी नीति के मूल में स्पष्ट दिखाई देता है।सुप्रीम कोर्ट ने फाइलिंग और लिस्टिंग की प्रक्रिया को सरलीकृत करते हुए यह व्यवस्था लागू की है कि अदालत के सामने गैर-ज़रूरी मेंशनिंग बिना आधार वाली अर्जेंट मांगें और अनावश्यक स्थगन अब सीमित किए जाएँ। वर्षों से सुप्रीम कोर्ट की सुबहें मेंशनिंग की भारी भीड़ से शुरू होती थीं,एक भीड़ जिसमें सच्ची अर्जेंसी वाले मामलों की आवाज़ अक्सर दब जाती थी। नए सिस्टम में यह अव्यवस्था लगभग समाप्त कर दी गई है। अदालत की ऊर्जा अब प्रक्रिया पर नहीं, बल्कि सुनवाई पर खर्च होगी, और यह अपने आप में एक बड़े बदलाव की शुरुआत है।वर्षों से तारीख पर तारीख यानें मामलों के लगातार आगे बढ़ते जाने, सुनवाई में देरी, और मामलों की अनावश्यक मेंशनिंग जैसे मुद्दे भारतीय न्याय-प्रणाली पर बोझ बढ़ाते रहे है। न्यायिक देरी न सिर्फ मुकदमों को लंबा करती है बल्कि आम लोगों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता, संपत्ति के अधिकार, और न्याय पाने के मूल अधिकार को भी प्रतिकूल रूप से प्रभावित करती है। इसी समस्या को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने लिस्टिंग, मेंशनिंग और एडजॉर्नमेंट यानें स्थगन प्रणाली में बड़े बदलाव किए हैं। इन बदलावों का उद्देश्य न्याय को तेज, भरोसेमंद और तकनीकी रूप से अधिक कुशल बनाना है। यह सुधार न केवल प्रशासनिक बदलाव है, बल्कि न्यायपालिका के भीतर एक नई सोच,एक नई संस्कृति को जन्म देते है। यह जानकारी मीडिया से उठाई गई है साथियों बात अगर हम जारी किए गए चार प्रमुख सर्कुलरों को सरल भाषा में समझने की करें तो,सुप्रीम कोर्ट ने सुधारों को लागू करने के लिए चारमहत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किए हैं। इनका उद्देश्य कोर्ट प्रशासन, तकनीकी प्रक्रिया और न्यायिक कार्य को सुव्यवस्थित करना है। सरल भाषा में ये चार सर्कुलर इस प्रकार हैं (1)मेंशनिंग पर नियंत्रण वाला सर्कुलर-इस सर्कुलर में कहा गया कि अब से मामलों की ओरल मेंशनिंग सीधेसीजेआई की बेंच के सामने नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं मामलों को सीजेआई बेंच के सामने ओरल मेंशनिंग की अनुमति होगी जिनके लिए विशेष अनुमति दी गई हो। यह कदम उन वकीलों की भीड़ को नियंत्रित करेगा जो रोज़ाना सीजेआई के सामने मेंशनिंग के लिए खड़े हो जाते थे (2)केस लिस्टिंग में ऑटोमेशन का सर्कुलर-कोर्ट ने एक नया तकनीकी सिस्टम लागू किया है जिसमें फाइलिंग के बाद केसों की छंटनी,स्क्रूटनी और लिस्टिंग स्वतः होती है। अब वकीलों को मैनुअली जाकर या मेंशनिंग करके केस की जल्दी तारीख मांगने की जरूरत नहीं होगी। सिस्टम अपने आप अर्जेंट मामलों को प्राथमिकता देगा(3) अर्जेंट मामलों की 48 घंटे में ऑटो-लिस्टिंग का सर्कुलर -इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान किया गया है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और अर्जेंट अंतरिम राहत से जुड़े सभी नए मामलों को दो वर्किंग डेज़ यानी 48 घंटे के अंदर स्वतःसुनवाई के लिए सूचीबद्ध कर दिया जाएगा। (4) एडजॉर्नमेंट कंट्रोल वाला सर्कुलर- यह सर्कुलर बताता है कि अनावश्यक एडजॉर्नमेंट, बार-बार तारीख लेने की आदत, और बिना उचित कारण सुनवाई को आगे बढ़ाने पर रोक लगाई जाए। कोर्ट चाहता है कि वकील सुनवाई की तारीख तय होने के बाद तैयार रहें और सुनवाई अनावश्यक रूप से लंबी न खिंचे।इन चारों सर्कुलरों का सामूहिक लक्ष्य है,मुकदमों की गति तेज़ करना और तारीख पर तारीख की समस्या खत्म करना। साथियों बात अगर हम ओरल मेंशनिंग, अर्जेंट लिस्टिंग और एडजॉर्नमेंट का नया ढांचा इसको सरल भाषा में समझने की करें तो,सुप्रीम कोर्ट में मामलों की सुनवाई, उनकी लिस्टिंग और मेंशनिंग का सिस्टम अक्सर जटिल और धीमा माना जाता था। वकील रोज़ाना बड़ी संख्या में ओरल मेंशनिंग करते थे,यानें कोर्ट में खड़े होकर अपने केस को जल्दी सूचीबद्ध करने का मौखिक अनुरोध। इससे बेंच का काफी समय सिर्फ मेंशनिंग सुनने में जाता था। कई बार वास्तविक अर्जेंट मामलों को इस भीड़ में से अलग पहचानना मुश्किल होता था। इसी स्थिति को समझते हुए कोर्ट ने 1 दिसंबर 2025 से एक रीस्ट्रक्चर्ड सिस्टम लागू किया है। साथियों बात कर हम उनके उद्देश्यों को समझने की करें तो अब से वकीलों को ओरल मेंशनिंग में जाने वाली ऊर्जा समय और प्रयास को कम कर दिया गया है। सिस्टम को अधिक डिजिटल, अधिक पारदर्शी और प्राथमिकता आधारित बनाया गया है। (1) फाइलिंग को आसान बनाना (2) बेंच के सामने गैर-ज़रूरी मेंशनिंग को खत्म करना (3) व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़े मामलों को तेज़ सुनवाई देना (4) अर्जेंट अंतरिम राहत की मांग करने वाले मामलों को स्वतः प्राथमिकता देना (5) वकीलों की अनावश्यक भीड़ और अदालत के समय की अनावश्यक बर्बादी को रोकना।यह बदलाव न्यायपालिका को अधिक न्याय-केंद्रित और कम प्रक्रियात्मक बोझ-केंद्रित बनाने की दिशा में बड़ी प्रगति माने जा रहे है। साथियों बात कर हम ओरल मेंशनिंग पर रोक, नई नीति और जूनियर वकीलों को बढ़ावा, इसको सरल भाषा में समझने की करें तो,पहले सुप्रीम कोर्ट में रोज़ सुबह की शुरुआत में ओरल मेंशनिंग का समय सबसे ज्यादा चला जाता था। हर वकील चाहता था कि उसका केस जल्दी लगे, चाहे वह अर्जेंट हो या नहीं। इससे अदालत का कीमती समय खर्च होता था और कई बार वास्तविक अर्जेंट मामलों को प्राथमिकता नहीं मिल पाती थी।नई नीति के अनुसार, अब (1) सीजेआई की बेंच के सामने सीनियर वकील ओरल मेंशनिंग नहीं कर पाएंगे,इससे मेंशनिंग की भीड़ कम होगी और सीजेआई बेंच वास्तविक न्यायिक कार्य में अधिक समय दे पाएगी।(2)केवल विशेष अनुमति वाले मामलों को ही सीजेआई के सामने मेंशन किया जा सकेगा, यानी पहले हर वकील मेंशन करता था; अब सिर्फ वही करेगा जिसे असल में इसकी जरूरत हो। (3) जूनियर वकीलों को बढ़ावा दिया गया है,यह बदलाव ऐतिहासिक हैपहले मेंशनिंग का मंच हमेशा सीनियर वकीलों के पास होता था, जिससे जूनियर वकील छाया में रह जाते थे। अब उन्हें आगे आकर अपनी बात रखने का मौका मिलेगा। इससे उनका आत्मविश्वास बढ़ेगा और न्यायपालिका में इक्वल अपॉर्चुनिटी की भावना मजबूत होगी।यह कदम सुप्रीम कोर्ट की उस नई सोच को दर्शाता है जिसमें वह भविष्य की पीढ़ी के वकीलों को सशक्त बनाना चाहता है।(4) 48 घंटे में ऑटोमैटिक लिस्टिंग लोगों की लिबर्टी वाले मामलों में क्रांतिकारी सुधार-नया सर्कुलर कहता है कि निम्न प्रकार के सभी मामलों को 48 घंटे के अंदर सूचीबद्ध किया जाएगा। यह बदलाव इस विचार पर आधारित है कि यदि मामला किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा है, तो हर मिनट की देरी अन्याय के समान है।साथियों बात अगर हम कौन- कौन से मामले इसमें शामिल हैं? इसको सरल भाषा में समझने की करें तो (1) स्थायी जमानत (रेगुलर बेल)-जब किसी व्यक्ति को लंबी जांच या लंबी सुनवाई के कारण जेल में रखा गया हो और वह स्थायी जमानत चाहता हो।(2)अग्रिम जमानत (एंटीसिपेटरी बेल) -जब किसी को गिरफ्तारी का डर हो और वह अग्रिम जमानत मांग रहा हो।(3)जमानत रद्द करना (कैंसिलेशन ऑफ़ बेल) -जब किसी व्यक्ति की जमानत व्यवहार के कारण रद्द करने की मांग हो।(4)मृत्यु दंड वाले मामले (डेथ पेनल्टी केसेस)-ऐसे मामलों में देरी जीवन और मृत्यु के बीच फर्क पैदा कर सकती है, इसलिए इन्हें सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है।(5)हैबियस कॉर्पस याचिकाएँ -जब कोई व्यक्ति गलत या अवैध कस्टडी में है तो ऐसे मामलों को तुरंत सुनना जरूरी है।(6) बेदखली कब्जा हटाने या ध्वस्तीकरण (डेमोलीशन) के मामले-क्योंकि यदि देरी होती है तो कभी-कभी व्यक्ति की संपत्ति या घर खोने का खतरा होता है।(7) कोई भी मामला जिसमें तुरंत अंतरिम आदेश (अर्जेंट इंटेरिम रिलीफ) की जरूरत हो-चाहे वह महिला की सुरक्षा का मामला हो, किसी छात्र का भविष्य जुड़ा हो, किसी डॉक्टर की मेडिकल रजिस्ट्रेशन पर तत्काल रोक का मसला हो या किसी कंपनी के बैंक खाते के फ्रीज होने की वजह से रोज़ी-रोटी रुक गई हो,ऐसे सभी मामलों को दो दिन के भीतर सुनवाई मिलेगी।यह व्यवस्था न्यायपालिका की उस संवेदनशीलता को दर्शाती है जिसमें व्यक्ति पहले और प्रक्रिया बाद में रखी गई है। साथियों बात अगर हम नई नीति का व्यापक असर,न्याय पारदर्शिता और गति की दिशा में बड़ा कदम इसको समझने की करें तो, इन सुधारों के कई गहरे और सकारात्मक प्रभाव होंगे। (1) तारीख पर तारीख संस्कृति टूटेगी-कोर्ट अब अनावश्यक एडजॉर्नमेंट रोक रहा है, जिससे मुकदमे वर्षों तक नहीं खिंचेंगे। इससे लाखों लंबित मामलों पर सकारात्मक असर पड़ेगा। (2)लोगों की आज़ादी को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलेगी- किसी भी सभ्य देश का न्याय तंत्र तब ही विश्वसनीय बनता है जब व्यक्ति की स्वतंत्रता को सर्वोच्च मानता है। यह सुधार भारत की वैश्विक न्याय-छवि को मजबूत करेगा। (3) वकीलों की अनावश्यक भीड़ खत्म होगी-हर सुबह सभी वकील मेंशनिंग के लिए दौड़ते थे,अब यह रुक जाएगा। कोर्ट का समय बचेगा, और सुनवाई सुव्यवस्थित होगी।(4)जूनियर वकीलों को न्यायिक प्रणाली में अधिक अवसर-यह भारतीय लीगल प्रोफेशन में एक प्रकार का डेमोक्रेटाइजेशन है। अब सिर्फ बड़े-सीनियर वकीलों की आवाज़ अदालत तक नहीं पहुंचेगी, बल्कि युवा वकील भी अपने केस को प्रस्तुत कर सकेंगे। (5) न्यायपालिका की डिजिटल क्षमताएँ मजबूत होंगी- ऑटोमैटिक स्क्रूटनी, डिजिटल लिस्टिंग और प्राथमिकता चयन से सुप्रीम कोर्ट तकनीकी रूप से दुनिया के अग्रणी न्यायालयों में शामिल हो जाएगा। (6) जनता का भरोसा बढ़ेगा-कानून का मूल उद्देश्य जनता में भरोसा पैदा करना है और जब सुनवाई तेज़ होती है तो लोग न्याय-व्यवस्था पर अधिक विश्वास करते हैं। अतः अगर हम उपरोक्त पूरे विवरण का अध्ययन कर इसका विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि न्यायिक सुधारों के नए युग की शुरुआत। दिसंबर 2025 से लागू की गई यह लिस्टिंग और मेंशनिंग पॉलिसी सिर्फ प्रशासनिक बदलाव नहीं है। यह भारतीय न्यायिक संस्कृति में एक गहरे परिवर्तन की शुरुआत है,जहां न्याय जल्दी मिले, सटीक मिले और बिना अनावश्यक प्रक्रिया के मिले। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट संदेश दिया है कि वह न्याय में देरी को अन्याय मानता है।यह सुधार भारत को न केवल एक विकसित न्याय-व्यवस्था की ओर बढ़ाएगा बल्कि दुनिया के उन देशों की कतार में भी लाएगा जहां न्याय में तकनीक, पारदर्शिता और व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोच्च है। भारत का सुप्रीम कोर्ट वैश्विक स्तर पर अपने आप को एक आधुनिक, पारदर्शी और संवेदनशील न्यायिक संस्था के रूप में स्थापित कर रहा है।

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक विजय कुमार शास्त्री ने कनन ऑफसेट प्रिंटर्स, ए-9, सारा पॉकेट एक्स., दिल्ली-33, से मुद्रित कर कार्यालय, बी-2/370, सुल्तानपुरी, दिल्ली-86 से प्रकाशित किया सम्पादक : विजय कुमार शास्त्री, मो. : 09582093548 समाचार पत्र में प्रकाशित सामग्री से संपादक का सहमत होना आवश्यक नहीं विवादास्पद केवल दिल्ली कोर्ट में होंगे। (DELHIN/2010/[illegible])

सदन में गूंजी पूर्वांचल में भोजपुरी अकादमी की स्थापना की मांग – रायसभा सांसद कुंवर आरपीएन सिंह की मजबूत पहल से भोजपुरिया समाज में खुशी की लहर

कुशीनगर।

पूर्वांचल में भोजपुरी अकादमी की स्थापना को लेकर रायसभा में एक महत्वपूर्ण और प्रभावशाली आवाज उठी। रायसभा सांसद कुंवर आरपीएन सिंह ने सदन में जोरदार तरीके से यह मांग रखी, जिससे पूरे भोजपुरिया समाज में अपार खुशी और उत्साह देखने को मिला। गत माह विश्व भोजपुरी सम्मेलन के कुशीनगर जिला अध्यक्ष आर.के. भट्ट बावरा और प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ मणि त्रिपाठी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने सांसद कुंवर आरपीएन सिंह से मिलकर भोजपुरी अकादमी की स्थापना की मांग सदन में उठाने का आग्रह किया था। सांसद ने इस आग्रह को गंभीरता से लेते हुए आज इसे सदन में पूरे दमखम के साथ रखा। सदन में अपने संबोधन में सांसद श्री सिंह ने कहा कि भोजपुरी केवल एक बोली नहीं, बल्कि श्रम, संघर्ष और संस्कृति का गौरवशाली प्रतीक है। विश्वभर में लगभग 25 करोड़ लोग भोजपुरी भाषा बोलते हैं और अपनी मेहनत, मेधा व सांस्कृतिक पहचान से पूरी दुनिया में प्रभाव छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब प्रधानमंत्री नरेंद मोदी भोजपुरिया समाज को रउआ पचंन के गोड़ लागस्तानी कहकर संबोधित करते हैं, तो प्रत्येक भोजपुरीभाषी का हृदय गर्व से भर जाता है। उन्होंने बताया कि बिहार के छपरा से लेकर उत्तर प्रदेश के बनारस, मिर्जापुर, देवरिया, बलिया, कुशीनगर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, अंबेडकरनगर सहित लगभग 50

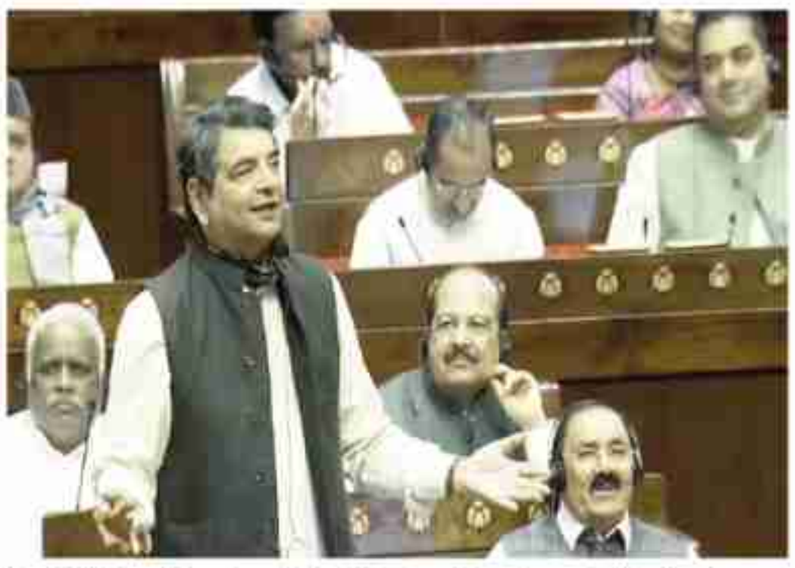

जिलों में भोजपुरी मातृभाषा के रूप में बोली जाती है। भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश के अलावा झारखंड, मध्य प्रदेश और भोजपुरी लोगों के द्वारा पूरे देश गुजरात महाराष्ट्र दिल्ली आदि जगहों पर बड़ी संख्या में बोली जाती है। इसके अलावा फिजी, गुयाना, सुरीनाम, त्रिनिडाड, मॉरीशस सहित कई देशों में बसे लाखों भोजपुरीभाषी अपनी समृद्ध साहित्यिक और सांस्कृतिक धरोहर को जीवित रखे हुए हैं। सांसद श्री सिंह ने जोर देकर कहा कि भोजपुरी भाषा, साहित्य, कला और लोकसंस्कृति के संरक्षण-संवर्धन के लिए भोजपुरी अकादमी की स्थापना पूर्वांचल–विशेषकर कुशीनगर अथवा देवरिया में–की जानी चाहिए। इससे भोजपुरी साहित्यकारों, कलाकारों, शोधकर्ताओं और युवाओं को नई दिशा व सशक्त मंच मिलेगा।

उन्होंने बताया कि पूर्व से ही दिल्ली और बिहार जैसे रायों में भोजपुरी मैथिली अकादमी संचालित हो रहा है। सांसद श्री सिंह की इस मांग का विश्व भोजपुरी सम्मेलन की जिला इकाई सहित अनेक साहित्यिक व सांस्कृतिक संस्थाओं ने स्वागत किया है। प्रदेश अध्यक्ष सिद्धार्थ मणि त्रिपाठी, जिला अध्यक्ष आर.के. भट्ट बावरा, महामंत्री ज्ञानवर्धन गोविंदराव, संरक्षक डॉ. संदीप अरुण श्रीवास्तव, शैलेंद्र दत्त शुक्ला, अखिलेश गोयल, उपाध्यक्ष राधे गोविंद शाही, तथा पदाधिकारी मदन मोहन पांडे, चंदेश्वर शर्मा परवाना, सुजीत पांडे, डीके पांडे, आफताब आलम, अमित पांडे, रामदास शर्मा, सीमा गुप्ता, अनामिका गुप्ता, आकाश महेश पुरी, दिनेश तिवारी भोजपुरिया, मोहन पांडे भ्रमर सहित कई अन्य प्रतिनिधियों ने अत्यंत प्रसन्नता व्यक्त की है। साहित्यिक-सांस्कृतिक क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्तित्व – मधुसूदन पांडे, डॉ. ओमप्रकाश द्विवेदी, ओम बेचू बी.ए., अभिमन्यु पांडे मन्नू आदि ने भी इस पहल का स्वागत करते हुए रायसभा सांसद श्री सिंह को पूरे भोजपुरिया समाज की ओर से हार्दिक बधाई और आभार प्रकट किया है।

राजेंद्र चिंतन समिति ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद की 141 वीं जयंती पर समारोह का आयोजन किया

नई दिल्ली इंद्रजीत सिंह) राजेंद्र प्रसाद की

141वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष समारोह राजेंद्र चिंतन समिति और नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) द्वारा संयुक्त रूप से संसद भवन के पास स्थित डॉ. राजेंद्र प्रसाद की प्रतिमा स्थल पर आयोजित किया। इस अवसर पर विभिन्न गणमान्य व्यक्तियों ने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को पुष्पांजलि अर्पित करते हुए उनके महान योगदान और सादगीपूर्ण जीवन को याद किया।

कार्यक्रम में दिल्ली विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ योगानंद शास्त्री ने दीप प्रज्ज्वलित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। उनके साथ राजेंद्र चिंतन समिति के उपाध्यक्ष विजय शंकर चतुर्वेदी, संयोजक पंकज शर्मा, श्रीमती लक्ष्मी देवी शर्मा, श्रीमती देवयानी शर्मा, श्रीमती मोनिका शर्मा भी मौजूद थे।

इस मौके पर डॉ योगानंद शास्त्री ने वरिष्ठ पत्रकार एवं समाजसेवियों को राजेंद्र प्रसाद सम्मान से सम्मानित किया । जिनमें प्रमुख रमेशचंद शर्मा, विवेक शुक्ला, सुनील नेगी, संजीव शर्मा, कोड़ले चन्नप्पा, खुल्लर शर्मा, मनोज शर्मा, अनुराग जोशी, मुश्ताक अंसारी, मानसी शर्मा, जितेंद्र, खजान सिंह, संजय शर्मा, राखी अरोड़ा, शिवानी, बी एम गुप्ता, अनिकेत, मोनिका शर्मा, देवकनी थे।

दिल्ली विधान सभा के पूर्व अध्यक्ष डॉ योगानंद शास्त्री ने कहा, ÷डॉ. राजेंद्र प्रसाद का जीवन सत्य, समर्पण और कर्तव्यपरायणता का प्रेरणास्रोत है। उनके नेतृत्व ने भारत को न केवल संविधान दिया, बल्कि एक मजबूत लोकतांत्रिक नींव भी प्रदान की। उनके विचार आज भी हमारे देश को नई दिशा देने में सहायक हैं।÷ उन्होंने कहा उनका त्याग, निष्ठा और देशसेवा हमें हर दिन बेहतर भारत निर्माण की प्रेरणा देते हैं।

राजेंद्र चिंतन समिति के उपाध्यक्ष विजय शंकर चतुर्वेदी ने कहा, ÷डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारतीय संस्कृति और मूल्य प्रणाली के प्रतीक थे। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे सादगी और अनुशासन के साथ बड़ा कार्य किया जा सकता है। डॉ. राजेंद्र प्रसाद जैसे व्यक्तित्व भारत के इतिहास में दुर्लभ हैं। उनका जीवन हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहेगा।÷ उन्होंने कहा, ÷डा. राजेन्द्र प्रसाद ने स्वतंत्रता संग्राम के दिनों से देश सेवा को अपने जीवन का लक्ष्य बनाया और आजीवन निष्ठापूर्वक उस मार्ग पर चलते रहे। आज हम उनके दिखाये गये रास्ते पर चलकर उनको सच्ची श्रद्धांजली अर्पित कर सकते है।÷

राजेंद्र चिंतन समिति के संयोजक पंकज शर्मा ने कहा, ÷डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने अपने जीवन से यह सिखाया कि कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी कर्तव्य पथ पर डटे रहना चाहिए।÷

राजेंद्र चिंतन समिति की संयोजिका देवयानी एवं मोनिका शर्मा ने कहा, ÷डॉ. राजेंद्र प्रसाद की जयंती पर मैं उनके अद्भुत नेतृत्व, सादगी और सेवा भावना को नमन करती हूँ। उनका जीवन हर भारतीय के लिए प्रेरणा है। हमें उनके आदर्शों पर चलकर भारत को सशक्त बनाना चाहिए।÷

समारोह में विभिन्न सामाजिक और सांस्कृतिक संगठनों ने भी भाग लिया। उपस्थित जनसमुदाय ने राष्ट्र के प्रति डॉ. राजेंद्र प्रसाद के योगदान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त की और उनके आदर्शों को अपनाने का संकल्प लिया। राजेंद्र चिंतन समिति और नई दिल्ली नगर परिषद ने इस आयोजन को सफल बनाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस समारोह ने देशवासियों को डॉ. राजेंद्र प्रसाद के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करने का एक विशेष अवसर प्रदान किया। इस मौके पर राजेंद्र चिंतन समिति के संयोजक पंकज शर्मा, मोनिका शर्मा और श्रीमती देवयानी ने उपस्थित लोगों का आभार व्यक्त किया।

जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल ने की एसआईआर अभियान की समीक्षा

पडरौना/कुशीनगर।

भारतीय जनता पार्टी के जिला मंत्री विवेकानंद शुक्ल ने पडरौना और कुशीनगर विधानसभा के पदाधिकारियों की अलग-अलग बैठकों में मतदाता गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की समीक्षा की। उन्होंने पदाधिकारियों से अपील की कि वे निर्वाचन आयोग के बीएलओ को हर संभव सहयोग दें, ताकि अभियान के दौरान कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची से वंचित न रह जाए। जिला मंत्री शुक्ल ने कहा कि एसआईआर अभियान के शेष बचे दिन सभी के लिए चुनौतीपूर्ण हैं। ऐसे में आवश्यक है कि सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से इस कार्य में जुटें। उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक बूथ की गहन समीक्षा, आवश्यक फार्म भरवाना तथा प्रतिदिन रिपोर्ट भेजना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि प्रयास ऐसे हों कि कोई पात्र

जिला मंत्री शुक्ल ने कहा कि एसआईआर अभियान के शेष बचे दिन सभी के लिए चुनौतीपूर्ण हैं। ऐसे में आवश्यक है कि सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता पूरे मनोयोग से इस कार्य में जुटें।

मतदाता छूटने न पाए और मतदाता सूची में फर्जी नाम या घुसपैठिए शामिल न हों। अभियान के बचे दिनों में संगठन की भूमिका कैसी रहेगी, इस पर सभी को मिलकर रणनीति बनानी होगी और अपनी-अपनी जिम्मेदारी का ईमानदारी से निर्वहन करना होगा। बैठक में धनञ्जय मणि त्रिपाठी, राजेश राव, आद्या प्रसाद पाण्डेय, किन्नरेश चौबे, अमरजीत कुशवाहा, डॉ. टी.एन. राव, छेदी शर्मा, अविनाश कुमार पाण्डेय, विजय तिवारी, शैलेन्द्र राय, रूपम सिंह, रुद्रप्रकाश सिंह, प्रभुनाथ मिश्र, श्रीमती सुमन, सुनैना, सुनील पांडेय, बबलू, प्रदीप दूबे, गोपेश्वर मिश्रा आदि उपस्थित रहे।

जनजागरूकता से ही होगा टीबी रोग का खात्मा-आशुतोष मिश्र

कसया,कुशीनगर।

स्थानीय नगरपालिका परिषद में स्थित कस्तूरबा गाँधी आवसीय विद्यालय के छात्राओं को सीएचसी कसया के क्षयरोग पर्यवेक्षको द्वारा क्षयरोग के बारे में जागरूक किया गया। स्कूली छात्राओं को सम्बोधित करते हुये वरिष्ठ क्षयरोग पर्यवेक्षक आशुतोष कुमार मिश्र ने कहा कि जनजागरूकता से ही टीबी रोग का खात्मा होगा।

उन्होनें कहा कि जिन व्यक्तियों को दो सप्ताह से यादा की खाँसी,खाँसी के साथ बलगम आना,बलगम में खून का आना,भूख न लगना,वजन कम होना,रात को बुखार होना,महिलाओं में बांझपन होना आदि टीबी रोग के लक्षण है। श्री मिश्र ने कहा कि टीबी रोग की जाँच एवं उपचार की निःशुल्क व्यवस्था है। उपचार के साथ ही प्रतिमाह एक हजार रुपये टीबी रोगियों के खाते में भेजा जाता है। उन्होंने कहा कि आप सभी के सहयोग से ही हम प्रधानमंत्री टीबी

-टीबी रोग के लक्षण दिखने पर तत्काल भेजें सरकारी अस्पताल पर-नितेश राय
-कस्तूरबा आवासीय विद्यालय के बच्चियों को किया गया जागरूक

मुक्त भारत के सपने को साकार कर सकते है। जागरूकता बैठक को सम्बोधित करते हुये जिला पीपीएम समन्वयक नितेश राय ने कहा कि आप के आस पास जो भी टीबी रोग के लक्षण वाला व्यक्ति मिले उसे तत्काल नजदीक सरकारी अस्पताल पर जांच हेतु भेजें। उन्होंने कहा कि यदि कोई व्यक्ति टीबी रोग से ग्रसित हो जाता है और उसका समय से उपचार नही होता है तो वह सालभर में 10 से 15 लोगों को टीबी रोग से ग्रसित कर सकता है।कार्यक्रम को एसटीएस शाहिद अंसारी ने भी सम्बोधित किया। इस दौरान वार्डेन अर्चना सहित सभी शिक्षिकायें उपस्थित रही।

पिपरा खुर्द में बुखार से दो मासूमों की मौत, जिलाधिकारी ने लिया जायजा- स्वास्थ्य शिविर में 56 बचों की जांच, सतर्कता के निर्देश

कुशीनगर

। नेबुआ नौरंगिया ब्लॉक के ग्राम सभा पिपरा खुर्द के टोला गुलहरिया में बुखार से दो मासूम बचों की मौत की घटना को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर आज गांव पहुंचे। उनके साथ मुख्य विकास अधिकारी विदिता श्रीवास्तव और मुख्य चिकित्साधिकारी चंद्रप्रकाश भी मौजूद रहे।

अधिकारियों ने मृतक बचों के परिजनों से मुलाकात की और हालात की जानकारी ली। गांव में आयोजित विशेष मेडिकल कैंप में 56 बचों की स्वास्थ्य जांच की गई, जिनमें से 14 बचों के ब्लड सैंपल मेडिकल कॉलेज भेजे गए हैं। प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की कि वे घबराएं नहीं और किसी भी प्रकार के लक्षण दिखने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। घटनाक्रम के अनुसार, गुलहरिया निवासी राजकुमार के 7 वर्षीय पुत्र सागर को गुरुवार से बुखार था। कई अस्पतालों में इलाज

के बाद हालत बिगड़ने पर उसे एम्स तक रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। इसी प्रकार रामानंद के 3 वर्षीय पुत्र अंश को तेज बुखार आने पर रामकोला सीएचसी से जिला अस्पताल और फिर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। सोमवार सुबह इलाज के दौरान उसकी भी मौत हो गई। अंश का 9 वर्षीय भाई आर्यन भी बुखार से पीड़ित है और उसका इलाज जारी है। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य और पंचायत विभाग को गांव में स्वच्छता व्यवस्था दुरुस्त करने, आशा बहुओं को स्वास्थ्य किट उपलब्ध कराने और गांव में विशेष निगरानी रखने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि यह बीमारी छूत की नहीं, बल्कि जानवरों के माध्यम से फैलने वाली हो सकती है। इसलिए मवेशियों को आवासीय परिसर से दूर रखने, नियमित सफाई बनाए रखने और किसी भी व्यक्ति को बुखार होने पर तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से जांच कराने की अपील की। सीएमओ ने बताया कि मृत बचों में से एक बची के रक्त में लेप्टोस्पायरोसिस की पुष्टि हुई है। यह बैक्टीरियल संक्रमण मुख्य रूप से चूहों या अन्य जानवरों के मूत्र से दूषित पानी या मिट्टी के संपर्क से फैलता है। तेज बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द और आंखों का लाल होना इसके प्रमुख लक्षण हैं। समय पर पहचान और एंटीबायोटिक उपचार अत्यंत आवश्यक है। प्रशासन ने इस बीमारी के फैलाव को रोकने और सतर्कता बढ़ाने के लिए कई कदम उठाए हैं। मेडिकल कैंप, रैपिड टेस्टिंग और डोर-टू-डोर स्क्रीनिंग की जा रही है। आशा के माध्यम से बचों को मेडिकल किट उपलब्ध कराई जा रही है। 24म7 डॉक्टरों की टीम और एम्बुलेंस तैनात की गई है। गांवों में सफाई, ब्लीचिंग, एंटी-लार्वा स्प्रे और फॉगिंग की जा रही है। जल निगम द्वारा पेयजल की जांच सुनिश्चित की जा रही है और ग्राम निगरानी समितियों को सक्रिय किया गया है। साथ ही अफवाहों पर रोक लगाने और ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली दंगे पर सुनवाई : गुलफिशा फातिमा बोलीं- सत्ता बदलने की साजिश का दावा चार्जशीट में नहीं

नई दिल्ली।

सुप्रीम कोर्ट में 2020 के दिल्ली दंगे से जुड़े मुकदमे पर सुनवाई के दौरान गुलफिशा फातिमा ने अपनी दलील में कहा, रिजीम चेंज ऑपरेशन का दावा दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में शामिल नहीं है।फरवरी 2020 के दंगों के मामले में जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कार्यकर्ता गुलफिशा के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, आरोपी लगभग छह साल जेल में बिता चुकी हैं। जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एनवी अंजारिया की बेंच के समक्ष सुनवाई के दौरान सिंघवी ने कहा, ट्रायल में देरी हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि ये काफी हैरान करने वाला मामला है और उनकी स्मृति में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। एक्टिविस्ट गुलफिशा फातिमा ने मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कहा, दिल्ली पुलिस ने जिस कोऑर्डिनेटेड रिजीम चेंज ऑपरेशन यानी सत्ता बदलने की साजिश किए जाने का दावा किया है, इसका चार्जशीट में कोई जिक्र नहीं है। वकील सिंघवी ने कहा, फातिमा की पैरवी कर रहे सीनियर वकील सिंघवी ने पूछा, आपने (दिल्ली पुलिस) अपनी चार्जशीट के सेंटर में रिजीम चेंज का आरोप कहां लगाया है? उन्होंने कहा कि अभियोजन पक्ष का ऐसा दावा कि असम को भारत से अलग करने के लिए पूरे भारत में साजिश की गई है, पूरी तरह बेबुनियाद है। उन्होंने अदालत के समक्ष कहा, पुलिस को बताना चाहिए कि ऐसे दावों का आधार क्या है? सिंघवी ने कहा, फातिमा के खिलाफ आरोप अभी तय नहीं हुए हैं। उन्हें अंतहीन तरीके से हिरासत में नहीं रखा जा सकता। खासकर एक ऐसे मुकदमे में जहां 939 गवाहों का जिक्र किया गया हो। जून 2021 में हाईकोर्ट से मिली जमानत का हवाला देते हुए सिंघवी ने कहा, इस मामले के सह-आरोपी नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को उच्च न्यायालय से जमानत मिल चुकी है। फातिमा इस मुकदमे की अकेली महिला आरोपी हैं जो अभी भी जेल में हैं। कई आरोपियों को 2021 में ही जमानत मिल गई थी। इसे देखते हुए मेरा मामला बहुत छोटा है। फरवरी 2020 में दिल्ली में हुए दंगों में जेएनयू के छात्र उमर खालिद, शरजील इमाम और कई अन्य आरोपियों की जमानत याचिकाओं का कड़ा विरोध किया। दिल्ली पुलिस की तरफ से पेश वकील ने कहा, दिल्ली में दंगे कोई अचानक हुई घटना या हमला नहीं, देश की आजादी पर सोच-समझकर, योजनाबद्ध और अच्छी तरह से डिजाइन कर किया गया हमला था।

संचार साथी एप पर प्रियंका बोलीं- सरकार जासूसी करना चाहती है

सरकार ने कल कहा था- सभी मोबाइल में इंस्टॉल होगा; आज बोली- डिलीट कर सकते हैं

नई दिल्ली । सभी मोबाइल फोन में साइबर सिक्योरिटी एप संचार साथी को प्री-इंस्टॉल करने के दूरसंचार विभाग के आदेश पर विवाद बढ़ने के बाद मंगलवार को केंद्र सरकार की सफाई आई। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि ये कंपलसरी नहीं है। चाहे तो यूजर इसे डिलीट कर सकते हैं। केंद्र सरकार ने एक दिसंबर को स्मार्टफोन कंपनियों को आदेश दिया था कि वे स्मार्टफोन में सरकारी साइबर सेफ्टी एप को पहले से इंस्टॉल करके बेचें। इसके लिए 90 दिन का समय दिया था। इस फैसले का कांग्रेस समेत विपक्षी पार्टियों ने विरोध किया। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने कहा कि यह कदम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। यह एक जासूसी एप है। सरकार हर नागरिक की निगरानी करना चाहती है। साइबर धोखाधड़ी की रिपोर्टिंग के लिए सिस्टम जरूरी है, लेकिन सरकार का ताजा आदेश लोगों की निजी जिंदगी में अनावश्यक दखल जैसा है।

विपक्ष के नेताओं के बयान..

कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी सरकार के इस आदेश की आलोचना की है। वहीं, कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने मंगलवार को इस मुद्दे पर सदन स्थगन नोटिस भी दिया। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा, मैं सदन में बहस के दौरान बोलूंगा ... अभी टिप्पणी नहीं करूंगा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर- संचार साथी एप उपयोगी हो सकता है, लेकिन इसे स्वैच्छिक होना चाहिए। जिसे जरूरत हो, वह खुद इसे डाउनलोड कर सके। किसी भी चीज को लोकतंत्र में जबरन लागू करना चिंता की बात है। सरकार को मीडिया के जरिए आदेश जारी करने के बजाय जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि इस फैसले के पीछे तर्क क्या है। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल- यह आम लोगों की प्राइवेसी पर सीधा हमला है। मदद के नाम पर बीजेपी लोगों की निजी जानकारी तक पहुंच बनाना चाहती है। भारत में हमने पेगासस जैसे मामले देखे हैं। अब यह एप लगाकर देश के लोगों की निगरानी करने की कोशिश की जा रही है। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी- प्राइवेसी का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। संचार साथी एप लोगों की आजादी और प्राइवेसी पर सीधा हमला है। CPI-M सांसद जॉन ब्रिटास- मोबाइल में इस एप डालना लोगों की प्राइवेसी का सीधा उल्लंघन है और सुप्रीम कोर्ट के 2017 के पुट्टास्वामी फैसले के खिलाफ है। यह एप हटाया भी नहीं जा सकता, यानी 120 करोड़ मोबाइल फोन में इसे अनिवार्य किया जा रहा है।

शीतकालीन सत्र में 8 दिसंबर को होगी वंदे मातरम पर चर्चा, पीएम मोदी के संबोधन से होगी शुरुआत

लोकसभा बुधवार तक के लिए स्थगित

- 9 और 10 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर चर्चा
- लोकसभा स्पीकर ने बुलाई बैठक

नई दिल्ली ।

संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में कल से कार्यवाही बिना किसी व्यवधान के चलाने पर सहमति बन गई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के कमरे में हुई फ्लोर लीडर्स की बैठक में यह निर्णय लिया गया।

इस दौरान कई दलों ने सदन की कार्यवाही को नियमित और गंभीर विषयों पर केंद्रित रखने पर सहमति जताई। बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की बैठक में तय हुआ कि 8 दिसंबर को लोकसभा में वंदे मातरम पर विस्तृत चर्चा होगी। इसके लिए 10 घंटे का समय निर्धारित किया गया है। इस ऐतिहासिक चर्चा की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। माना जा रहा है कि इस बहस में राष्ट्रगीत के इतिहास, महत्व और आधुनिक भारत में उसकी भूमिका पर बात होगी।

वहीं यह भी तय हुआ कि 9 दिसंबर को चुनाव सुधारों पर चर्चा होगी, जिसके लिए 10 घंटे का समय दिया गया है। इस पर सरकार और विपक्ष दोनों अपनी राय रखेंगे। चर्चा पूरी होने के बाद केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल 10 दिसंबर को सरकार की ओर से जवाब देंगे।

लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने एसआईआर पर चर्चा की विपक्ष की मांग को लेकर सदन में जारी गतिरोध को तोड़ने के लिए मंगलवार को पार्टी नेताओं की बैठक बुलाई। इस मुद्दे पर लोकसभा में बार-बार हंगामे के बाद अध्यक्ष की यह बैठक हो रही है। इससे पहले, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राजनीतिक दलों के सदन नेताओं से मुलाकात की, लेकिन चुनाव सुधारों पर चर्चा के लिए कोई समय-सीमा बताने से इनकार कर दिया। उन्होंने तर्क दिया कि विपक्ष सरकार पर अपनी शर्तें थोप नहीं सकता। सरकार वंदे मातरम के 150वें वर्ष पर चर्चा कराने की इच्छुक है और इस विषय के लिए 10 घंटे का समय आवंटित किया है। स्पीकर ओम बिड़ला ने गतिरोध खत्म करने के लिए दोपहर 3 बजे सर्वदलीय बैठक बुलाई है। यह बैठक स्पीकर के चैंबर में ही होगी। एसआईआर पर बहस की मांग को लेकर विपक्ष के लगातार विरोध के कारण मंगलवार को लोकसभा की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई।

सरकार ने कहा कि वह बिना कोई समय सीमा तय किए सदन में इस मुद्दे पर चर्चा के लिए तैयार है। दिन में दो बार के स्थगन के बाद, विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी के बीच दोपहर 2 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू हुई। लेकिन हंगामे के चलते लोकसभा की कार्रवाई 3 दिसंबर सुबह 11 तक के लिए स्थगित कर दी गई है।

पीएमओ का नाम अब सेवा तीर्थ होगा

देशभर के राज भवन अब लोकभवन कहलाएंगे, मोदी बोले- हम सत्ता से सेवा की ओर बढ़े

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर सेवा तीर्थ कर दिया गया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री कार्यालय जल्द ही नई बिल्डिंग में शिफ्ट होगा। इस बिल्डिंग का नाम ही सेवा तीर्थ रखा गया है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से ही उपनिवेशकालीन शाही ठिकानों की छवि को बदलने की कोशिश जारी है। इसी क्रम में कुछ दिन पहले राजभवनों का नाम बदलकर को लोकभवन कर दिया गया था। सिर्फ नाम परिवर्तन नहीं, बल्कि पिछले एक दशक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा सार्वजनिक पदों की भावना को पुनर्परिभाषित करने की व्यापक पहल का हिस्सा है। इसकी शुरुआत 2016 में हुई थी, जब प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आवास का नाम 7, रेस कोर्स रोड से बदलकर 7, लोक कल्याण मार्ग कर दिया था। इसके बाद एक कड़ी सी शुरू हो गई। 2022 में राज पथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ कर दिया गया। भारत के प्रशासनिक केंद्र में अब सेंट्रल सेक्रेटेरिएट नहीं, बल्कि कर्तव्य भवन है। सरकार के अनुसार यह बदलाव छवि निर्माण नहीं बल्कि शासन की सोच में परिवर्तन का प्रतीक है- सत्ता, नियंत्रण और दूरी के पुराने संकेतों को हटाकर सेवा, कर्तव्य और जवाबदेही को केंद्र में लाना।

प्रेम कुमार बने बिहार विधानसभा के नए स्पीकर, विपक्ष का भी मिला समर्थन

पटना। प्रेम कुमार सर्वसम्मति से बिहार विधानसभा के 18वें अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्हें विपक्षी विधायकों का भी समर्थन प्राप्त हुआ। प्रेम कुमार ने कल इस पद के लिए अपना नामांकन दाखिल किया था। वे इस पद के लिए एकमात्र उम्मीदवार थे, इसलिए उनका निर्विरोध निर्वाचन तय माना जा रहा था। विजय कुमार सिन्हा और नंदकिशोर यादव के बाद, प्रेम कुमार भाजपा कोटे से तीसरे अध्यक्ष बने हैं। उनसे पहले, जदयू के दो नेता उदय नारायण चौधरी और विजय कुमार चौधरी अध्यक्ष पद पर कार्यरत थे। प्रेम कुमार के निर्वाचन पर उन्हें बधाई देते हुए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि मैं पूरे सदन की ओर से प्रेम कुमार जी को बधाई देता हूं। उनके पास लंबा अनुभव है और वे सदन के संचालन में पूरा सहयोग करेंगे। मेरा अनुरोध है कि पूरा सदन एक बार खड़ा होकर उन्हें सम्मान दें। हालांकि, 74 वर्षीय जदयू प्रमुख ने कुछ विपक्षी नेताओं को धीरे से डांटा, जो बैठे रहे और जब वे अंततः खड़े हुए तो मुस्कुराए। अपने भाषण में, तेजस्वी यादव ने बताया कि अध्यक्ष जी एक ऐसे निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसमें भगवान विष्णु और भगवान बुद्ध से जुड़े तीर्थ स्थल शामिल हैं। राजद नेता ने कहा कि आप अच्छी तरह जानते हैं कि विपक्ष सरकार के लिए एक आईने का काम करता है, जिसे शायद हमेशा अपनी कमियाँ नजर न आएँ। इसलिए हम आपसे अपेक्षा करते हैं कि आप सत्ता पक्ष से भी ज्यादा हमें शामिल करेंगे। अध्यक्ष ने सभी सदस्यों का उन पर भरोसा जताने के लिए धन्यवाद किया और कहा कि वे उनके सहयोग की आशा करते हैं।

बीजेपी पर अखिलेश यादव का तीखा प्रहार

संचार साथी ऐप को बताया गिद्ध दृष्टि, घर-घर जासूसी का आरोप

लखनऊ। समाजवादी पार्टी (सपा) सांसद अखिलेश यादव ने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर मोबाइल हेडसेट पर संचार साथी ऐप को सक्रिय करने के निर्देश को लेकर तीखा राजनीतिक हमला बोला और दावा किया कि सत्तारूढ़ पार्टी अब नागरिकों के निजी स्थानों पर भी निगरानी बढ़ा रही है। एक्स पर साझा की गई एक पोस्ट में, अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि भाजपा शासन में न केवल अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश लगाया गया है, बल्कि लोगों के घरों और परिवारों के अंदर की बातचीत की गोपनीयता भी खतरे में है। यादव की एक्स पोस्ट में लिखा है कि जिनका इतिहास ही मुखबिरी का रहा हो वो जासूसी करना कैसे छोड़ सकते हैं। भाजपा सरकार में अभिव्यक्ति की आज़ादी तो पहले ही छिनी जा रही थी अब घर-परिवार, नाते-रिश्तेदार, मित्रता-कारोबार की आपसी बातचीत पर भी भाजपाइयों और उनके संगी-साथियों की गिद्ध निगाह लग जाएगी। अब जनता ने फ़ैसला कर लिया है भाजपा सरकार नहीं चाहिए, तो नहीं चाहिए। उन्होंने तंज भरे लहजे में कहा कि भाजपा जाए तो निजता बच पाए!

कैबिनेट बैठक में 20 प्रस्तावों को मिली मंजूरी, विकास के एजेंडे को मिलेगी रफ्तार

बरेली और कानपुर में 580+ करोड़ की दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा

लखनऊ ।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े 20 प्रस्तावों को हरी झंडी मिल गई। इस बैठक में जहां पर्यटन क्षेत्र को मजबूत करने के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई, वहीं अयोध्या में मंदिर संग्रहालय को हरी झंडी मिल गई है। उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना ने लोकभवन में बताया कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली, 2025 को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है।

राज्य में पर्यटन गतिविधियों को मिलेगा तेजी से बढ़ावा

खन्ना ने बताया कि इस निर्णय से पर्यटन विभाग की प्रशासनिक संरचना मजबूत होगी और राज्य में पर्यटन गतिविधियों को तेजी से बढ़ावा मिलेगा। प्रत्येक मंडल मुख्यालय पर 'जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र (डीडीआरसी) की स्थापना के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। खन्ना ने बताया कि कैबिनेट में 20 प्रस्ताव लाए गए थे। इनमें से स्वास्थ्य विभाग से जुड़े एक प्रस्ताव को छोड़कर सभी पास हो गए। एक प्रस्ताव अलग से बैठक में शामिल किया गया था। अयोध्या में एक अत्याधुनिक और विश्वस्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण होगा।

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को दी राहत

उत्तर प्रदेश अंतरराष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली-2022 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत, सरकारी नौकरी कर रहे खिलाड़ियों के राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण शिविरों में बिताए गए समय को 'ड्यूटी (कर्तव्यार्थ व्यतीत अवधि) माना जाएगा।

इन प्रस्तावों को भी मिली मंजूरी

कैबिनेट की बैठक में गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के चैनेज सं0 45 980 किमी पर स्थित घाघरा पुल के क्षतिग्रस्त भाग के स्थायी सुरक्षात्मक कार्य कराए जाने के संबंध में निर्णय लिया गया।

इसके अलावा अटल नवीकरण और शहरी रूपान्तरण मिशन-2.0 (अमृत-2.0) योजनान्तर्गत कानपुर नगर में पेयजल पाइप लाइन विस्तार से संबंधित प्रायोजना के लिए 316.78 करोड़ की अनुमोदित लागत के व्यय के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई।

एम.ओ.यू. के संबंध में लिया फैसला

कैबिनेट की बैठक में अमृत-2.0 योजनान्तर्गत बरेली में पेयजल पुनर्गठन योजना फेज-1 से संबंधित प्रायोजना के लिए 265.95 करोड़ रुपये की अनुमोदित लागत के व्यय के प्रस्ताव पर अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया। इसके अलावा अवस्थापना एवं औद्योगिक निवेश नीति-2012 और औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के अन्तर्गत गठित इम्पावर्ड कमेटी की 15 मई, 2025 को हुई बैठकों में की गई संस्तुतियों पर अनुमोदन प्रदान किया गया। बैठक में डा सम्पूर्णानन्द स्पोर्ट्स स्टेडियम, सिगरा वाराणसी के संचालन और राष्ट्रीय उत्कृष्टता केन्द्र हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) द्वारा उपलब्ध कराए गए एम.ओ.यू. के संबंध में फैसला लिया गया है।

नाथद्वारा मंदिर से पास बरामद हुआ भारी विस्फोटक, 10 किलोमीटर तक मचा सकता था तबाही,जॉच जारी

राजसमंद । दिल्ली में हुए कार बम धमाके के बाद राजस्थान पुलिस पूरी तरह अलर्ट है। इसी बीच नाथद्वारा के श्रीनाथ मंदिर से महज चार किलोमीटर की दूरी पर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया है। इसको अवैध तरीके से पिकअप में ले जाया जा रहा था। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सुबह पिकअप वाहन में लोड किया गया था। पिकअप वाहन आमेट क्षेत्र से नाथद्वारा की तरफ जा रहा था। इसी दौरान छापा मारकर इससे विस्फोटक जब्त किया गया। पिकअप में भरे विस्फोटक की मात्रा को देखकर पुलिस दंग रह गई। इसके बाद पूरे विस्फोटक सामग्री को वाहन से नीचे उतारा गया। विस्फोटकों को कार्टन में रखा गया था। पुलिस के अनुसार इसकी मात्रा इतनी अधिक है कि इससे धमाका किया जाता तो करीब 10 किलोमीटर के क्षेत्र में असर दिखाई देता। पुलिस अधिकारियों के अनुसार पिकअप में मौजूद विस्फोटक की गिनती की जा रही है। इसके बाद इसका वजन मापा जाएगा। ये भी पता किया जा रहा है कि विस्फोटक वाहन में लोड कहां से हुआ था और इसकी डिलेवरी कहां होनी थी। बरामद की गई सामग्री का आकलन किया जा रहा है कि इसका उपयोग कहां-कहां किया जाता है। इसकी क्षमता की भी जांच कर रही है। पूरे मामले में पिकअप चालक से पूछताछ की जा रही है। कुछ नाम सामने आए हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। पुलिस सभी पहलुओं को गंभीरता से खंगाल रही है। फिलहाल वाहन चालक व संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ जारी है।

घुसपैठियों के लिए भी रेड कार्पेट चाहते हैं, रोहिंग्याओं को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट की दो टूक

नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार को नोटिस जारी करने से इनकार कर दिया। दरअसल, याचिका में कुछ रोहिंग्या शरणार्थियों के लापता होने को लेकर चिंता जाहिर की गई थी और इस मामले में केंद्र को निर्देश देने की अपील की गई। हालांकि, सर्वोच्च न्यायालय ने मामले में सुनवाई को टाल दिया। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में तीखी टिप्पणी करते हुए याचिकाकर्ताओं से कहा, आप जानते हैं वे घुसपैठिए हैं। भारत के उत्तरी बॉर्डर बहुत संवेदनशील है। आप जानते हैं कि देश में क्या हो रहा है। अगर कोई यहां गैरकानूनी ढंग से आया है, तब भी आप उनके लिए रेड कार्पेट चाहते हैं। वे सुरंगों के जरिए घुसते हैं और फिर आपके खाने, निवास के अधिकारी, बच्चों की शिक्षा, आदि के अधिकारी, हो जाते हैं। क्या हम कानून का दायरा इस तरह खींचना चाहते हैं? ऐसे मामलों में बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) जैसी मांगें करना काफी काल्पनिक बात है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से कनाडा के राजदूत ने की मुलाकात

ऊर्जा, खनन, शिक्षा और निवेश जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर हुई चर्चा

चंडीगढ़ ।

हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में राज्य सरकार हरियाणा को शिक्षा के क्षेत्र में वैश्विक हब बनाने के लगातार प्रयास कर रही है। इन्हीं प्रयासों की कड़ी में मंगलवार को भारत में कनाडा के राजदूत क्रिस्टोफर कूटर ने मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से उनके निवास स्थान संत कबीर कुटीर पर शिष्टाचार भेंट की। इस अवसर पर कनाडा ने हरियाणा राज्य के साथ शिक्षा, निवेश और तकनीकी सहयोग जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने की पेशकश करने के साथ-साथ कनाडा द्वारा हरियाणा में एक विश्वविद्यालय खोलने पर भी चर्चा हुई। बैठक के दौरान चर्चा की गई कि फास्ट ट्रैक सिस्टम के माध्यम से हरियाणा और कनाडा के निवेश प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाया जाएगा। फास्ट ट्रैक सिस्टम के माध्यम से अनुमति प्रक्रियाओं के सरलीकरण, विभागों के बीच समन्वय सहित सभी आवश्यक सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। इसके अलावा, हरियाणा की तीव्र आर्थिक वृद्धि, मजबूत औद्योगिक आधार और निवेश‑अनुकूल नीतियों को देखते हुए कनाडा ने राज्य के साथ अपने आर्थिक व रणनीतिक जुड़ाव को और सुदृढ़ करने में रुचि व्यक्त की है। हरियाणा और कनाडा के बीच यह पहल राज्य में निवेश के नए द्वार खोलेगी, रोजगार सृजन को गति देगी और वैश्विक साझेदारियों को मजबूत बनाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि हरियाणा को उत्तरी भारत का सबसे विश्वसनीय वैश्विक निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित किया जाए। इस दौरान श्री क्रिस्टोफर कूटर ने मुख्यमंत्री के साथ वेस्ट टू एनर्जी, विद्युत उत्पादन और कनाडा के खनन क्षेत्र में हरियाणा के युवाओं की भागीदारी बढ़ाने की संभावनाओं पर भी विस्तृत चर्चा की। इसके अलावा, उन्होंने कनाडा के निवेशकों को हरियाणा में निवेश के लिए आकर्षित करने संबंधी विस्तृत रोडमैप पर भी विचार‑विमर्श किया, ताकि दोनों पक्षों के व्यावसायिक संबंध और अधिक मजबूत तथा परिणाम मुखी बन सकें। मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा सरकार युवाओं को वैश्विक स्तर पर अवसर प्रदान करने और प्रदेश को विकास के नए आयामों की ओर ले जाने के लिए प्रतिबद्ध है। युवाओं को उद्योगों की मांग के अनुरूप कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। साथ ही युवाओं को विदेशों में रोजगार के अवसर दिलाने के लिए भी विस्तृत प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्ष 2047 तक हरियाणा की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। इसमें शिक्षा, ऊर्जा, एआई इत्यादि क्षेत्रों का प्रमुख योगदान होगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा को वैश्विक मंच पर निवेशकों के लिए पसंदीदा स्थल बनाने के लिए राज्य सरकार ने ईज ऑफ डूइंग को प्राथमिकता दी है। इसके लिए सरकार ने अलग से विदेश सहयोग विभाग का गठन किया है, जो लगातार राजदूतों और निवेशकों व अन्य प्रतिनिधियों से समन्वय स्थापित कर परस्पर सहयोग को बढ़ावा दे रहा है। श्री क्रिस्टोफर ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि आने वाले समय में हरियाणा और कनाडा के बीच यह साझेदारी दीर्घकालिक रूप से आगे बढ़ेगी और इसका लाभ सीधे‑सीधे प्रदेश के लोगों और युवाओं को मिलेगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव श्री राजेश खुल्लर, मुख्य सचिव श्री अनुराग रस्तोगी, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव डॉ साकेत कुमार, विदेश सहयोग विभाग के सलाहकार श्री पवन चौधरी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।